राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, दिनांक ८ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बज कर ३७ मिनट पर प्रारंभ हुआ

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष:-आज माईक्रोफोन्स के सम्बन्ध में दूसरा अरेन्जमेन्ट हो गया है। इसमें ऑफ एन्ड ओन सिस्टम रखा गया है। जो माननीय सदस्य बोलें वे ओन करके बोलें।

७ तारीख के कुछ प्रश्न रह गये थे और जो माननीय राजस्व मंत्री से सम्बन्धित थे वे आज पहले लिये जावेगें।

श्री खेतसिंह:-माननीय अध्यक्ष में प्रश्न पूछने के पहले आपके द्वारा हाउस के नेता से जानना चाहूंगा कि उन अनस्टार्ड क्वेश्चन्स का, जिनको बड़ी महनत से हमने तैयार किया था, क्या हुआ? उनके उत्तर कल टेबल आफ दी हाउस पर जानकारी के लिए रख दिये जाने चाहिये थे। किन्तु हमने देखा कि उनके जवाबात कल तक तो नहीं आये थे।

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री):-कुछ प्रश्नों के जवाबात कल तक नहीं आ सके थे, आज उनका जवाब मिल जावेगा।

प्रश्न संख्या १

श्री खेतसिंह :-क्या माननीय राजस्व मन्त्रीजी यह बतलाने की कृपा करेगें कि-

क्या राजस्थान के एक फसलीय उन इलाकों के काश्तकारों से, जिनके कि दुर्भाग्यवश इस वर्ष भी खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई है, उनसे तकावी की रकम मयाद आने पर उनकी हालत देने योग्य न होते हुए भी, वसूल की जायगी, अथवा रकम वसूली की मयाद बढ़ादी जायगी ? यदि हां तो कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–(राजस्व मंत्री):–राजस्थान तकावी रूल्स के मुताबिक जो तकावी दी जाती है वह छः माही काश्त के मुताबिक जमा होती है लेकिन अगर फसल ठीक न हो तो जो अधिकारी तकावी देते है उन्हे यह अधिकार है कि वे उसको आगे के लिए मुल्तबी कर दें। कितने समय के लिए मुल्तबी की जाय यह अधिकारी पर निर्भर करता है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--On a point of order, Sir. I do not think you are answering any question.

Mr. Speaker:--It is question No. 1 of starred questions.

श्री जसवन्तसिंह:–तकावी का सम्बन्ध ही नहीं आता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--पुराने क्वेश्चन्स लिये जारहे हैं और इससे सम्बन्धित है।

प्रश्न संख्या ६

श्री अध्यक्ष:–श्री अवनिकुमार।

श्री खेतसिंह:–मैं श्री अवनिकुमार की ओर से इस प्रश्न को रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:–Have you any written authority ?

श्री खेतसिंह:–"रिटन अथोरिटी" तो मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष:- Next.

प्रश्न संख्या १४

Shri Inder Nath Modi:—(*a*) Will the **Revenue Minister** kindly say what has been the collection of land Revenue, Division-wise, during the last three financial years *i. e.* 1949-1950, 1951-1952 and 1952-1953 ?

(*b*) What was the annual demand, Division-wise which should have been recovered for the aforesaid three years. What steps, if any, the Government have taken to recover the arrears. If not, will the Government take them now ?

उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–पिछले तीन वर्षों में जो लगान वसूल किया गया है वह मैं आपके सामने पेश करता हूं।

सन् १९४९--५०	२,२०,००,०००
सन् १९५०--५१	२,७७,१०,४१८
सन् १९५१--५२	२,६३,४८,०००

डिविजन वाइज फिगर्स अभी कलेक्ट किये जा रहे हैं जो हाउस के सामने फिर पेश कर दिये जावेंगे।

तीनों वर्षों की एन्युअल डिमान्ड इस प्रकार है:—

सन् १९४५–५०	३,८६,८८,०००
सन् १९५०–५१	३,७५,९७,०००
सन् १९५१–५२	३,१५,०६,०००

वाकीयात जो रह गई है उनकी वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष:–Now we come to today's agenda—the questions of 8th October.

प्रश्न संख्या २४

श्री अध्यक्ष:–Mr. Abani Kumar is not here.

श्री जसवन्तसिंह:–He is here. For the moment he has disappeared.

श्री अध्यक्ष:–Let him come. Mr. Hari Krishna Vyas.

प्रश्न संख्या ३०

Shri Hari Krishna Vyas:—Will the **Hon'ble Minister for Education** be pleased to answer.—

(*a*) Is the Government aware of the demand of the students and citizens of Bhilwara, for a degree college in that place?

(*b*) Does the Government propose to satisfy that demand?

उत्तर

श्री नाथूराम मिर्धा:–प्रश्न का भाग "ए" भीलवाड़ा की डिग्री कॉलेज के सम्बन्ध में है। विद्यार्थियों की इस मांग को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछली दफा भी कहा था कि इस साल एज्युकेशन के एक्सपेन्शन के लिए हमारे पास बजट में कोई रकम नहीं है। मैं अभी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि वह मांग

कब तक पूरी हो जायेगी किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि आगे जब भी एज्युकेशन के एक्सपेन्शन की कोई बात होगी तो अन्य डिग्री कॉलेजेज के साथ साथ यहां पर डिग्री कॉलेज खोलने का भी ध्यान रखा जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:-क्या मैं यह समझूं कि अगली साल इस मांग पर अवश्य ध्यान दिया जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा:-मैंने ऐसा कहा था कि दूसरी मांगों के साथ साथ इस मांग पर भी ध्यान दिया जावेगा। मैं पक्का नहीं कह सकता कि इसको ले ही लिया जावेगा। ऐसी मांगे कई डिग्री कालेजेज के लिए पड़ी हुई हैं। यह प्रश्न हमारी फाइनेन्शियल पोजिशन पर ज्यादा डिपेन्ड करता है। मैं नहीं कह सकता कि अगले साल यह रखा ही जावेगा।

श्री जसवन्तसिंह:-क्या गवर्नमेन्ट की यह भी नीति है कि जहां एज्युकेशन के एक्सपेन्शन का प्रश्न न हो वहां भी किसी कारण से रकम दी जाती है या दी जा सकती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-ऐसा कोई खास केस हो तो बताया जाय ताकि मैं उस सम्बन्ध में कुछ कह सकूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:-क्या माननीय मंत्रीजी यह बता सकते हैं कि कब तक ये मांगे पूरी की जा सकती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:-मैं ठीक तौर पर नहीं बता सकता।

श्री भैरूसिंह:-क्या यह समझा जाय कि सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि भीलवाड़ा में डिग्री कॉलेज खोल ही दिया जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा:-ऐसा नहीं किया गया है।

प्रश्न संख्या ३१

Shri Hari Krishna Vyas:—Will the **Hon'ble Minister for Education** be pleased to answer:—

(*a*) What is the number of text books prescribed for each standard upto the High School ?

(*b*) Is the Government aware that this number is extremely high by any standards of comparison ?

(*c*) Will the Government state the special reason for the introduction of so high a number in our state ?

Page No.5

श्री नाथूराम मिर्धा:—हाई स्कूल क्लासेज, ६ वीं और दसवीं के लिए, युनिवर्सिटी ही किताबें प्रेस्क्राइब करती हैं। प्रत्येक १ से ८ वीं कक्षाओं तक जो प्रेस्क्राइब्ड टैक्स्ट बुक्स हैं उनकी संख्या ६१ है।

मैं ठीक तौर से तो नहीं बता सकता कि इतनी किताबें प्रेस्क्राइब करने का क्या कारण है ? ये पुराने सिलेबस के हिसाब से ही फिक्स की गई हैं। पुराने सिलेबस पुरानी रियासतों के बनाये हुए हैं। नया सिलेबस तैयार किया गया है और इसके हिसाब से १ से ८ वीं कक्षा के लिए ४० से ज्यादा किताबें नहीं होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या आप हर स्टेन्डर्ड के लिए फरमा रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैंने जैसा कहा था कि ये १ से लेकर ८ वीं कक्षा तक के लिए हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैंने ईच स्टेन्डर्ड के लिये पूछा था।

श्री नाथूराम मिर्धा:—मेरे पास अलग अलग क्लासेज के लिए लिखा हुआ एक कागज पर था किन्तु यह कागज मुझे अभी मिल नहीं रहा है। शायद मेरे कागजों में कहीं रह गया है अथवा छूट गया है। मैं यह बाद में बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या इतनी ज्यादा किताबें इसलिए रखी गई कि किसी पार्टी को प्रोत्साहन दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मेरे वक्त में नहीं रखी गई थीं। अब अलग सिलेबस के अनुसार ये प्रेसक्राइब की गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में सोचने के लिए क्या किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मैं इसका जवाब दे चुका हूं। नये सिलेबस के अनुसार ४० से अधिक टैक्स्टबुक्स नहीं होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—राजस्थान सरकार ने कम करने का सिलसिला सोचा क्यों नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय सदस्य को मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं। नये युनिफाइड स्केल के अनुसार पहली कक्षा से लेकर ८ वीं कक्षा तक ४० से ज्यादा किताबें नहीं रखी जाएंगी। मेरे ख्याल से यह कोई ज्यादा नम्बर नहीं है।

श्री मदनमोहन:—क्या किताबें जो मन्जूर हुई होंगी वे कैसे लेखकों की होंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह प्रश्न संबन्धित प्रश्न से भिन्न है इसलिये इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

मेरे पास प्रत्येक क्लास में कितनी पुस्तकें रखी गई हैं इसकी सूची आगई है, वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। वह निम्न प्रकार है:

कक्षा १	५ किताबें
कक्षा २	४ किताबें
कक्षा ३	६ किताबें
कक्षा ४	६ किताबें
कक्षा ५	१२ किताबें
कक्षा ६	१७ किताबें
कक्षा ७	१८ किताबें
कक्षा ८	१७ किताबें

श्री हरिकृष्ण व्यास:—इस समय तक जो ६१ किताबें चल रही हैं उनको कम करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया?

श्री नाथूराम मिर्धा:—प्रयत्न करते करते सिलेबस को फाइनेलाइज किया जा सका है। क्योंकि हम यदि जल्दी करते तो गड़बड़ी होने का अन्देशा था; अच्छी किताबें हम नहीं छांट सकते थे। इसलिये यह इस साल लागू नहीं कर सके। अगले साल से, नयी सिलेबस के अनुसार नई किताबें क्लासों में पढायी जायंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मेरा प्रश्न किसी व्यक्ति या वर्तमान शिक्षा मंत्री से नहीं। मेरा मतलब राजस्थान सरकार से है। तीन साल के समय में यह कमी क्यों नहीं की गई। आपने क्या क्या किया मेरा मतलब तो सारे मंत्रालय से है?

श्री नाथूराम मिर्धा:—मेरे ख्याल से यह कार्य तभी से चल रहा है। इसके लिये कमेटियां बनाई गई। युनिफाइड स्केल कायम करने के लिए कमेटियों का निर्माण किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस तरह से कुछ न कुछ तो इस सम्बन्ध में काम चल ही रहा था। अब जो नया सिलेबस बनाया गया है उसके अन्दर पुरानी किताबों की जगह दूसरी किताबें रखी जायंगी।

श्री मदनमोहन:—क्या इस नये सिलेबस में पुरानी किताबें भी ली जा सकती हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि जब नया सिलेबस बनाया जायगा तो उसके लिए टेक्स्ट बुक्स एग्जामिनेशन कमेटी

का निर्माण किया जायगा। नये नये लेखकों से किताबें लिखवाई जायेंगी। वे जांच करके नयी किताबें रखेंगे । परानी किताबें कैसे रह सकती हैं?

श्री मानसिंह:—नये सिलेबस के अन्दर नाजी टेकनिक्स तो नहीं अपनायी जायगी?

श्री अध्यक्ष:–ऑर्डर, ऑर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न नं० ३२

Shri Hari Krishna Vyas:—Will the **Hon'ble Minister for Labour** be pleased to answer:—

What is the strength of Labour Officers and Inspectors of Factories for the Jodhpur, Udaipur and Bikaner Divisions?

श्री रामकरण जोशी:—जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर डिविजन के लिए एक इन्स्पेक्टर और दो लेबर आफिसर हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या ये अफसर इन तीनों डिविजनों की देख भाल कर सकते हैं।

श्री रामकरण जोशी:—गवर्नमेन्ट और ऑफिसरों को बढाने का विचार कर रही ह ।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—यदि कम स्टाफ है तो कायदे कागजी ही नहीं रह जाते?

श्री रामकरण जोशी:—जितना काम आप समझते हैं उतना है नहीं। सिर्फ एक इन्सपेक्टर की और जरूरत है। तीनों डिविजनों की फेक्ट्रीज को देखने की बारी तीन महिनों में एक बार आती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—तीन डिविजनों के लिए क्या इतने कम अफसर आपके ख्याल में पर्याप्त हैं जबकि एक फेक्ट्री की बारी तीन महिने में एक बार आती है?

श्री रामकरण जोशी:—इन्स्पेक्टरों को तीन महिने में सिर्फ एक बार जाना पड़ता है। आप समझते हैं तो चार महिने में दो चक्कर लगा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—जितने लेबर डिस्प्यूट्स हैं उनको देखते हुए लेबर आफिसरों की तादाद आप ठीक समझते हैं?

श्री रामकरण जोशी:—आफिसर बढ़ाने का सरकार विचार कर रही है।

Page No.8

श्री हरिकृष्ण व्यास:—कब तक फैसला हो जायगा ।

श्री कानसिंह:—जब इधर से प्रश्न पूछा जाता है तो उधर के माननीय सदस्य को बैठ जाने का आदेश दिया जाय?

श्री हरिकृष्ण व्यास:—कब तक फैसला हो जायगा?

श्री रामकरण जोशी:—इस पर सरकार विचार कर रही है; जल्दी फैसला कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितने साल लग जायेंगे?

श्री रामकरण जोशी:—आपको निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—"जल्दी" से हम क्या मतलब समझें, सालों में या महिनों में?

श्री रामकरण जोशी:—महिनों से अन्दाज लगाया जा सकता है।

श्री नारायण चतुर्वेदी:—ऑन दी पाइन्ट ओफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष, मुझे अपने कल के अनस्टार्ड प्रश्नों के जवाब नहीं मिले ।

प्रश्न नं ३३

Shri Hari Krishna Vyas:—Will the **Hon'ble Minister for Finance** be pleased to answer:—

(*a*) Has the Rajasthan Government advanced any loans to any Industrialists?

(*b*) To whom has such loan been given; the amount of loan given to each and terms on which such loan has been given?

श्री नाथूराम मिर्धा (अर्थ मंत्री):—यह प्रश्न फाइनेन्स मिनिस्टर से संबन्ध नहीं रखता, यह मिनिस्टर फोर इन्डस्ट्रीज से संबन्ध रखता है; अतः इसका उत्तर मिनिस्टर फोर इन्डस्ट्रीज देंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास:—मेरे पास तो इस प्रश्न की कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष:—Advance of loan is the concern of the Finance Minister or the Industries Minister?

श्री एच. के. व्यास:—मेरा खयाल है कि लोन लेना और देना फाइनेन्स विभाग से सम्बन्ध रखता है चाहे वह लोन किसी इन्डस्ट्रीयलिस्ट को देते समय उस विभाग की सलाह लेकर दे। यह जिम्मेवारी फाइनेन्स मिनिस्टर की है इसलिये इसका जवाब फाइनेन्स मिनिस्टर को देना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह:—कोई भी मिनिस्टर इसका जवाब दे; मगर सरकार को यह लाजमी होगा कि इस प्रश्न का जवाब दे।

श्री अध्यक्ष:—What the leader of the House has to say?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यों तो यह कायदे के खिलाफ है; फिर भी इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। एक दो रोज में इसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय मंत्रीजी ने फरमाया कि यह कायदे के खिलाफ है। मै यह कहूंगा कि अगर आप बिजनेस रूल्स देखें तो गवर्नमेंट को लाजमी होता है कि अगर किसी मिनिस्टर के पास प्रश्न गलत भेज दिया गया है तो वह मिनिस्टर अपने आप उस प्रश्न को मिनिस्टर कन्सर्न्ड के पास भेज दें।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष, क्या इस प्रकार के प्रश्नों के संबन्ध में यह आशा करना अनुचित होगा कि वे प्रश्न जो असंबन्धित मंत्रियों के पास पहुंच जाने पर संबन्धित मंत्रियों के पास भेज दिये जावेंगे? यह प्रश्न अकसर पैदा हो सकता ह; इसलिये हम आपसे इस संबन्ध में रूलिंग की आशा करेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह ऐसा बड़ा प्रश्न तो है नहीं; इसका उत्तर दो तीन दिन में मिल जाएगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं इस बात को समझ चुका हूं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर थोड़े दिन बाद मिलेगा; आज नहीं तो कल। मगर मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मामलों में गवर्नमेंट का सिर्फ हाउस में यह कहना कि प्रश्न किसी एक मंत्री महोदय के पास नहीं भेजा गया इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता; पर्याप्त नहीं है। कायदे की बात यह ह और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रश्न जो गल्ती से किसी मंत्री को संबोधित किये जाते है वे संबन्धित मंत्री के पास भेज दिये जांय; इस संबन्ध में समझौता होना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह:—अगर गल्ती मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—माननीय सदस्य का कहना ठीक है। मगर मैंने अपने उत्तर के साथ साथ यह भी कहा था कि इसका उत्तर कल दे दिया जावगा।

श्री अध्यक्ष:–मैं एक बात का स्पष्टीकरण कर दूं। कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं जो संबन्धित मंत्रियों को संबोधित नहीं होते। दूसरा प्रश्न भेजने वाले सदस्य का नाम उनके नीचे नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न भेजने में कई ऐसी खामियां होती हैं। इसलिये माननीय सदस्यों का ध्यान रूल्स आफ बिजनेस की धारा २८, उपधारा (१) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके अनुसार यह लाजमी है कि संबन्धित मंत्रियों को ही प्रश्न संबोधित होने चाहिये। अगर नहीं होते तो वे एडमिट नहीं किये जाते हैं और अगर वे एडमिट हो जाते ह तो उसकी जवाबदेही के लिये गवर्नमेंट पाबन्द नहीं है।

श्री भैरूंसिंह:–जो प्रश्न एडमिट हो चुके हैं उसके लिये तो गवर्नमेंट की गारन्टी है।

श्री अध्यक्ष:–इसलिये इस संबन्ध में मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे जो प्रश्न भेजें संबन्धित मंत्रियों को संबोधित करके भेजें। यदि वे गलत मंत्री के पास भेजते हैं तो अपने नये रूल्स के अनुसार उनके प्रश्न दफ्तर में ही रिजेक्ट हो जाने चाहिये। यह सरकार की या हमारे दफ्तर की जिम्मेवार नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह:–पोर्टफोलियोज़ की लिस्ट हमारे पास भेजी जानी चाहियें।

प्रश्न संख्या ३४

Shri Jaswant Singh.—Will the **Hon'ble Minister for Commerce & Industries** be pleased to state:—

(1) As to what is the policy of the Rajasthan Government in regard to the working of the Fuller's Earth Deposit quarries?

(2) In what division of the State Fuller's Earth Deposits exist?

श्री रामकिशोर व्यास:–(१) फुलर्स अर्थ डिपोजिट क्वेरीज लीज़ पर देने तथा आगे को क्या पोलीसी रहेगी इस संबन्ध में भारत सरकार के पास कागजात भेजे गये हैं और यह मामला विचाराधीन है।

(२) यह बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है।

श्री जसवंतसिंह:–क्या इन दोनों डिवीजनों में ऐसे डिपोजिट और जगह भी हैं जिन पर अभी तक कुछ कार्य नहीं किया गया?

Shri Kapil Deo:—On a point of order, Sir, Is it permissible for any Hon'ble Member to raise a question by way of supplementary question which is absolutely irrelevant to the main question? Why the time of the House is wasted in replying to questions which are not admissible as supplementary questions? I desire a ruling of the Speaker.

Mr. Speaker:—There is no necessity for giving a ruling on this point. It is quite evident that only questions which relate to the main question should be asked and questions which are quite independent of the main question should not be asked. Next.

श्री जसवन्तसिंह:–मूल प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए तो यह प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष:–आप अपना प्रश्न फिर से दोहराइये।

श्री जसवन्तसिंह:–मैंने यह पूछा कि कौन कौन से डिवीजन में फुलर्स अर्थ डिपोजिट पाये जाते हैं? क्या ऐसे स्थान भी हैं जिनको गवर्नमेंट कार्य में नहीं ला रही है।

श्री रामकिशोर व्यास:—अगर आप कोई खास स्थान बतावें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री जसवंतसिंह:—यह तो मैं भी पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे स्थान हैं जिनको गवर्नमेन्ट कार्य में नहीं ला रही है?

श्री रामकिशोर व्यास:—यह एक अलग प्रश्न है।

श्री संतोषसिंह:–यह विचाराधीन मामला कितने वर्षों से सरकार के सामने पड़ा हुआ है?

श्री रामकिशोर व्यास:—वर्षों से नहीं, महिनों से पड़ा है।

श्री संतोषसिंह:–बाड़मेर का ठेका, जिसको दो साल समाप्त हो गये हैं उसके सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री रामकिशोर व्यास:—उसका लीज अभी समाप्त हुआ है। राजस्थान सरकार ने उसका फैसला दे दिया है। अपील में कुछ कार्यवाही हो रही ह।

प्रश्न संख्या ३५

Shri Jaswant Singh:—Will the **Hon'ble Minister for Commerce & Industries** be pleased to state whether the Government have any scheme to develop the salt Deposits at Lunkaransar (Bikaner Division).

श्री रामकिशोर व्यास:–लूणकरणसर के लिए कोई खास योजना नहीं है।

श्री जसवंतसिंह:—लूणकरणसर ऐसी जगह है जहां अक्सर अकाल पड़ा करते हैं, वहां की जनता के लिए कोई खास व्यवसाय नहीं है। वहां नमक

का व्यवसाय जनता के लिए बड़ा लाभप्रद हो सकता है। क्या इसके लिए गवर्नमेन्ट कोई योजना बनाना आवश्यक नहीं समझती?

श्री रामकिशोर व्यास:—साल्ट का महकमा Central Government से ताल्लुक रखता है।

Shri Jaswant Singh,:—Will the **Hon'ble Minister for P.W.D.** be pleased to state whether the Rajasthan Electrical Department purchased G.I. Pipes from the Iron and Steel Merchants Association? If so, of what value.

श्री भोलानाथ:—Pipes इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट के लिए नहीं खरीदे, रियूजी कोलोनी के लिए Water Supply के हेतु खरीदे गये थे जो करीब १०२६६४।-)॥। के थे।

श्री जसवंतसिंह:—क्या उनके लिए टेन्डर मांगे गए थे?

श्री भोलानाथ:—चूंकि यह Control Prices की चीज थी अतः इसके लिए टेन्डर मांगने की जरूरत नहीं थी।

श्री जसवंतसिंह:—कन्ट्रोल प्राइसेज से सस्ती या महंगी भी मिल सकती है?

श्री भोलानाथ:—कन्ट्रोल प्राइसेज से कोई ज्यादा कीमत ले तो सजा मिल सकती है।

श्री जसवंतसिंह:—इसके लिए क्या कोई मुनाफा दिया गया है; कृपया Percentage बताइये।

श्री भोलानाथ:—मुनाफा पहले ही तय हो चुका था। Percentage बताने के लिए Notice की जरूरत है। इस सम्बन्ध में Iron Control के मुताबिक मुनाफा तय होता है।

प्रश्न संख्या ३७

Shri Jaswant Singh:—Will the **Hon'ble Minister for P.W.D.** be pleased to state:—

(*a*) Whether the Government is aware of severe water difficulties of the people of tehsil Head Quarter at Lunkaransar (Bikaner Division)?

(*b*) If so, what steps they propose to take in this direction?

(*c*) What has become of the scheme of an experimental well being dug at Lunkaransar for which a sum of Rs. 1,40,000 was sanctioned in the Budget and for which machinery had also arrived on spot?

श्री भोलानाथः--(a) हां

(b) इसके लिए बराबर कोशिश की गई और इसका साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन हो रहा है कि कहीं लूणकरणसर में मीठा पानी मिले। सन १९५० और १९५१ में इस सम्बन्ध में एक लाख रुपये का प्रोविजन रखा गया था पर कहीं मीठा पानी नहीं मिला। इसलिये यह काम अभी छोड़ा हुआ है।

श्री जसवन्तसिंहः--क्या हम यह समझें कि सरकार ५०-६० साल में इस योजना को खत्म करने की कोशिश करेगी?

श्री भोलानाथः--अवश्य कोशिश करेगी। पास ही में ८ माइल पर मीठे पानी की खोज की गई है; पर उस पर खर्चा ज्यादा होगा, अतः यह काम अभी बन्द है।

श्री भूरसिंहः-साइन्टिफिक खोज में कितनी रकम खर्च हुई? क्या यह बताने की माननीय मंत्री महोदय कृपा करेंगे?

श्री भोलानाथः--१० हजार रुपया।

श्री जसवन्तसिंहः--प्राप्त सूचना के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पहले समय में इस योजना के लिए मशीन मंगाई गई थी और वह अभी तक वहीं पड़ी है।

श्री भोलानाथः--मैंने कहा था कि साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन किया गया था पर उसमें सफलता नहीं मिली है।

श्री अध्यक्षः--माननीय सदस्य जिनके प्रश्नों को लिया जाना हो वह समय पर आ जावें तो ठीक होगा। यदि वे समय पर नहीं आ सके तो उन्हें लिखित अनुमति दूसरे सदस्य के नाम देनी चाहिए।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--मेरा निवेदन है कि question hour का समय अभी बाकी है; यदि आज्ञा दें तो हम सप्लीमेन्टरी questions पूछें?

श्री जयनारायण व्यासः-क्या प्रश्न नं ३७ के Supplementary questions खत्म हो गये हैं?

श्री अध्यक्षः--हां।

हालां कि रूल तो नहीं है फिर भी स्पेशल तौर से आपको (श्री अवनि कुमार) इजाजत है, आज के प्रश्नों को पूछ सकते हैं।

प्रश्न संख्या २४

Shri Abani Kumar:—Will the **Minister-in-Charge of Agriculture** be pleased to state:—

(i) What is the total amount sanctioned for advancing loan to people intending to purchase pumping sets for Agricultural purposes?

(ii) What is the total amount distributed to intending purchasers in the first half of the financial year?

उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(i) पांच लाख रूपये।
(ii) २३४३४८J रूपये

श्री हरिदेव जोशी:—On a point of information, Sir. मैं पूछना चाहता हूं कि एक सदस्य जो इस ओर बैठे हुए हैं क्या उन्होंने कांग्रेस जोइन करली है।

श्री अध्यक्ष:—He is perhaps the Advocate General who is entitled under the Constitution to sit in the House.

प्रश्न संख्या २५

Shri Abani Kumar:—Will the **P. W. D. Minister** be pleased to state:—

(i) Whether full use is not being made of the generating plant recently installed near the Amanissah Nullah Jaipur and about 5000 K. W. are being wasted on account of shortage of lines?

(ii) If so what steps the Government proposes to take in this connections?

उत्तर

श्री भोलानाथ:—

(i) Full use is certainly not being made of the generating capacity at Jaipur. The generating set capacity is over 12000, kws. and the peak load is of the order of 4500 to 5000 kws This results in poor economy overal all. The reason of it is want of funds for transmission and distribution lines. There is plenty of prospects of load, the most valuable being of pumping of large distances round about of Jaipur. A transmission line towards Govindgarh and Sikar is so full of promise that it can be considered essential.

(ii) Estimates for minimum requirements for supplementary grants in the current year are being submitted to Government for sanction.

श्री सन्तोषसिंह:—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल सरकार ने टरबाइन पर कितना खर्च किया?

श्री भोलानाथ (निर्माण-मंत्री):—इस प्रश्न के लिये नोटिस (पूर्व सूचना) की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या २६

Shri Abani Kumar:—Will the **Revenue Minister** be pleased to state:—

(*i*) What is the policy of Government towards the allotment of Grass Farms in Rajasthan to intending cultivators.

(*ii*) What is the position in respect to the Grass Farm located in village Jharan Tehsil Phagi.

उत्तर

श्री अमृतलाल यादव:—यद्यपि यह प्रश्न गलत संबोधित किया गया है लेकिन यह मेरे विभाग से संबंधित है इसलिये मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं। ग्रास फार्म भूमि उन्हीं किसानों को रिलीज की जाती है जो खास तौर से कृषि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देते हैं। तहसील फागी के झारना गांव में ऐसे बीड १७७८ बीघा रकबा काश्त के लिये दिया गया।

प्रश्न संख्या २७

Shri Abani Kumar:—Will the **Minister-in-charge Forests** be pleased to state:—

(*i*) If any afforestation scheme for the rapid afforestation of Rajasthan has been submitted to the Government.

(*ii*) What action the Government proposes to take with regard to these schemes?

(*iii*) Whether the Government has sought non-official help in this connection.

उत्तर

श्री अमृतलाल यादव:—(*i*) हां

(*ii*) यह योजना २१ लाख ७५ हजार रुपयों की है जो पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करली गई है। केन्द्रीय सरकार से रकम प्राप्त होते ही उस पर शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी।

(*iii*) इस प्रकार के सहयोग का उस अवसर पर अवश्य स्वागत किया जायगा।

प्रश्न संख्या २८

Shri Abani Kumar:—Will the **P.W.D. Minister** be pleased to state:—

(*i*) Whether the P.W.D. has got in its possession a few well boring sets?

(*ii*) Whether these sets are being utilised for boring wells?

(*iii*) How many wells have been bored?

उत्तर

श्री भोलानाथ:—बोरिंग सेट्स इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट के पास है और उनका पूरा उपयोग किया गया है। जबकि पिछले वर्ष जयपुर में पानी की कमी होगई थी तब काफी वेल्स (कूए) खोदे गये थे और वे उन्हीं बोरिंग सेट्स की सहायता से खोदे गये थे। अब तक ८४ कूए खोदे गये हैं।

श्री अवनिकुमार:—क्या उनमें प्राइवेट कूए भी शामिल हैं।

श्री भोलानाथ:—प्राइवेट कूओं के बारे में प्रश्न में इशारा नहीं था इसलिये जानकारी प्राप्त नहीं की गई।

श्री संतोषसिंह:—क्या ये सेट्स प्राइवेट कूओं के लिये उपलब्ध हो सकते है?

श्री भोलानाथ:—अवश्य, बशर्ते कि डिपार्टमेन्ट को इनसे कोई काम न हो।

श्री संतोषसिंह:—प्रति फुट पर क्या कीमत आयगी?

श्री अध्यक्ष:—नो (नहीं) Next

प्रश्न संख्या २९

Shri Abani Kumar:—Will the **Chief Minister** be pleased to state as to what is the attitude of Government towards the very large number of temporary employees in the State of Rajasthan?

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:—प्रश्न कुछ अधिक साफ नहीं है; फिर भी इतना निवेदन करूंगा कि टेम्पोरेरी गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स (अस्थायी सरकारी कर्मचारी) के विषय में सरकार ने जो नियम बनाये हैं उनके अंतर्गत कार्य करना होता है। यदि माननीय सदस्य का मतलब टेम्परेरी गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स को नौकरी से अलग करने या कमी करने के मुतल्लिक है तो मेरा निवेदन है कि इन्टिग्रेशन के सिलसिले में या कमी के सिलसिले में जब कभी भी सरकारी कर्मचारियों को

अलग करने का प्रश्न सामने आता है तो निश्चय है कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उन्हें प्रिफरेन्स मिलता है और जो अस्थायी लोग हैं उन्हें ही अलग किये जाने का पहला नम्बर आता है। लेकिन सरकार यह ध्यान रखना चाहती है कि जिन्हें अनिवार्य रूप से अलग किया गया है उनका एक रजिस्टर रखा जाय। ऐसा निश्चय किया गया है कि दिसम्बर सन् ५३ तक दुबारा नौकर करने का अवसर आवे तो उनमें से ही नौकर किये जावें। यदि उनकी आयु आवश्यकता से अधिक बढ़ गई हो तो भी जितने समय तक वे अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी में रहे हैं उतना समय उनके लिये आयु में और बढ़ा दिया जाय। ऐसी दशा में उनको और सुविधा मिल जायगी। लेकिन हर हालत में ३५ साल से अधिक आयु उनकी नहीं हुई हो, यही निर्णय किया गया है । जब अनिवार्यरूप से नौकरी से उन्हें अलग करना पड़ता है तभी वे अलग किये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—क्या सरकार को मालूम है कि बहुतसे आदमी इसलिये टेम्परेरी हैं कि सरकार को उन्हें कन्फर्म करने की फुरसत नहीं मिली ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—सात सात साल या दस दस साल नौकरी करने वाले भी कई लोग अस्थाई हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल:—समय के बारे में तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। शायद माननीय सदस्य भी अंदाज से बात कर रहे हैं; पर यह ठीक है कि कई सालों तक जब कि डिपार्टमेन्ट ही टेम्परेरी होते हैं तो उनमें काम करने वाले भी टेम्परेरी रहते हैं।

श्री मानसिंह:—क्या हैड ओफ दी डिपार्टमेन्ट्स भी टेम्परेरी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—टेम्परेरी डिपार्टमेन्ट्स के हैड भी टेम्परेरी हैं; या वे ओफिशियेटिंग तौर पर काम कर रहे होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—सालों तक टेम्परेरी रखना क्या उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना नहीं है?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर ऑर्डर। सभा की अन्य कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अर्जुनसिंह ने दिनांक ६ अक्टूबर से १० अक्टूबर १९५२ तक विधान सभा से अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें आज्ञा प्रदान की जावे?

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मथुरादास माथुर:--माननीय अध्यक्ष, लाउड स्पीकर की व्यवस्था बावजूद ठीक करने के भी उतनी ही खराब है जितनी कि कल थी। हमें झुक कर बोलना पड़ता ह इसलिये प्रार्थना है और यह सदस्यों का प्रिवीलेज है कि वे ठीक तरह से बोले ताकि दूसरे लोग सुन सकें। इसलिये महरबानी करके इसमें सुधार करने की कृपा करें। ट्रेजरी बेंचेज के आगे के सदस्यों के लिये और लीडर ओफ अपोजीशन की मेजों पर तो बड़े बडे लाउड स्पीकर रखे गये हैं लेकिन पीछे बठने वाले सदस्यों को काफी झुकना पड़ता है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री भोलानाथ:--अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५२ का और संशोधन करनेवाला विधेयक पर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष:--Next.

राजस्थान भूमि संक्षेप-बन्दोबस्त विधेयक, १९५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--Sir, I beg to introduce a Bill to provide for the Summary Settlement of unsettled lands in Rajasthan.

श्री अध्यक्ष:--The Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal.

राजस्थान आवश्यक सेवा संधारण विधेयक, १९५२

श्री टीकाराम पालीवाल:--Sir, I beg to introduce a Bill to make provision for the maintenance of certain essential Services in Rajasthan.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष:- Next—Presentation of Report of Select Committee. Shri Ram Kishore Vyas.

राजस्थान विध व्यावसायी (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री रामकिशोर व्यास:--Sir, I present the Report of the Select Comittee on the Bill to amend the Indian Legal Practitioner's Act, 1879, extended to Rajasthan under Section 3 of the Part B States (Laws) Act (Act No. III of 1951).

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष:--अब श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर वाद-विवाद होगा। मेरे पास अभी तक १८ सदस्यों के नाम आये हैं। कल लगभग १० सदस्य इसमें भाग ले चुके हैं। मैं सदन की सुविधा के लिए और सदन का समय

व्यर्थ न जाय इसके लिए, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषणों को संक्षिप्त करें और पुनरावृत्ति न करें। १२ से १५ मिनिट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जावेगा और तीन मिनिट पहले घंटी बजा दी जायगी, ताकि वे अपने भाषणों का उपसंहार तीन मिनिट में करलें।

श्री किशनलाल शाह:—आपके पास जो नामावली पहुंची है उसके अनुसार यह कार्यवाही चलेगी या कैसे?

श्री अध्यक्ष:—यदि दोनों पार्टीज की ओर से एक एग्रीड लिस्ट हो तो मैं उसके अनुसार कार्यवाही करूं वरना यह मेरे डिस्क्रिशन पर होगा कि जो मेरी दृष्टि पकड़ेगा उसको बोलने की आज्ञा दे दी जाएगी।

श्री देवीसिंह:—माननीय अध्यक्ष क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कल की तरह एक ही पक्ष के लोगों को तरजीह दी जायगी या विशेष कारणों से दूसरे सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय:—मैंने कल किसी पार्टी के लिए कोई रियायत नहीं रखी, किन्तु जिसने मेरी दृष्टि पकड़ी उसी को मैंने आज्ञा दी। यदि को लिस्ट नहीं दी गई तो यही क्रम जारी रहेगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन है कि जो समय की अवधि निश्चित की गई है वह साधारणतः ठीक होनी चाहिए।

(स्पष्ट रूप से न सुनाई देने की सरकारी बेन्चों की ओर से शिकायत)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने जो समय की अवधि निश्चित की है वह हमें सहर्ष स्वीकार है। मेरा इतना निवेदन है कि इसमें मुलामियत (Flexibility) रखना आवश्यक है। हाउस में काम की बात करने के लिए ऐसी सूरत पैदा हो तो, मैं अर्ज करूंगा कि कुछ समय अधिक भी देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष:—मैं इसे इस शर्त पर स्वीकार करता हूं कि जो लोग बोलेंगे उन पर पार्टी का एन्क्रोचमेन्ट भी होगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—यह बात आज ही के लिए होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष:—अवश्य।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष:—यही आशा करते हुए बोलते जाइये।

(हंसी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—आज से छः महीने पूर्व हमें इस सदन में श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था और परसों हमें उनका दूसरा अभिभाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब हम पहली मर्तबा यहां पर उनका अभिभाषण सुनने के लिए उपस्थित थे तब हमने कुछ विषयों पर चर्चा की और उन चर्चाओं के करने में हमारा लक्ष्य यह था कि हम जनता के प्रतिनिधियों की हैसियत से भारतीय गणराज्य के संविधान के मातहत पहले लेजिस्लेचर के मेम्बर होने के नाते अपने कुछ मन्तव्यों को, श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, श्रीमन् राजप्रमुख के सामने तथा उनकी सरकार के सामने पेश करें ताकि राजस्थान प्रान्त के शासन में जो एक प्रकार से गिरावट हमें नजर आ रही थी उनकी रोकथाम की जा सके और राजस्थानी जनता के हित व कल्याण के लिए जो थोडा भी प्रयास हम यहां बैठे हुए कर सकें, करने की कोशिश करें।

अपने मूल विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं, उन सदस्यों को जो आज मौजूद हैं और जो हमारे सदन में पहिले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, आपकी आज्ञा से, अपनी और अपने साथियों की ओर से इस हाउस की सदस्यता प्राप्त करने के लिए मुबारिकबाद पेश करना चाहता हूं। हमें खुशी है कि वे यहां मौजूद हैं। यह हो सकता है कि उनके और हमारे विचारों में अन्तर हो, या वे किसी एक पक्ष के हों या किसी दूसरे पक्ष के हों, फिर भी एक सहयोगी के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस सदन में सुन्दर परम्पराओं को कायम करने के लिहाज से हम उनका स्वागत करें और वे और हम, एक सहयोगी के नाते कन्धे से कन्धा मिला कर काम करें।

अपने मूल विषय पर आता हुआ मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपनी मंजिल की एक ऐसी स्टेज पर आ पहुंचे हैं, इन छः महीने के बाद, कि हम एक प्रकाश स्तम्भ के नीचे खड़े होकर देखने का प्रयत्न करें कि हमने कहां तक प्रगति की है। जो बातें छः महिने पहले हमने आपके समक्ष, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, श्रीमन् राजप्रमुख के सामने और उनकी सरकार के पास रखीं, उनको ध्यान में रखते हुए हम देखें कि जन-हित के मार्ग पर हम कहां तक अग्रसर हो पाये हैं और मैं इसी भावना से कुछ बातें पेश करना चाहूंगा।

सबसे पहले इस सम्बन्ध में मैं श्रीमन् राजप्रमुख के प्रति अपनी कृतज्ञता इस बात के लिए पेश करना चाहूंगा कि पिछले सेसन में उनके विचार में हमने बुद्धिमानी, परिश्रम और गरिमा से काम किया और वह सराहनीय था। मैं स्वयं तो यह समझता हूं कि हमें यह सराहना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि मेरी अल्प बुद्धि में हमारे काम करने की पद्धति में, मैं स्वयं कई कमियें महसूस करता हूं, कई खामियां रही हैं। मेरी दृष्टि में हमें बहुत स्थिरता तथा अधिक बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हमें किसी भी काम में अनुचित शीघ्रता नहीं करनी चाहिये, तभी हम, जो काम यहां पर करने के लिए बैठे हैं, उसे अधिक उत्तमता से करने में कामयाब हो सकेंगे।

लेकिन में इस विषय पर अधिक नहीं कहूंगा । अब म दूसरी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में व्यक्त की हैं। उन्होंने हमें यह कहा है कि राजस्थान राज्य की विधान सभा में हमें एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो प्रजाराज के अनुकूल हो, जिस वातावरण में हम अलग अलग बैठे हुए एक दूसरे की बातों को समझने की क्षमता रखें, एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम की भावना रखें, यह बात में मानता हू। जहां तक उद्देश्य का प्रश्न है, जहां तक लक्ष्य का निर्देश है, यह बात ठीक है। लेकिन हमें यह देखना है कि हम उस लक्ष्य की ओर कहां तक आगे बढ़े हैं, यही तो लक्ष्य की बात करते हुए हमें सोचने की आवश्यकता है । अब में इस ओर ध्यान दिलाता हूं। में कुछ बातों की ओर संकेत करना चाहता हू क्योंकि मेरे विचार में उन बातों के अलावा, जो श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में कही हैं एक और बात की बड़ी आवश्यकता है जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में विशदरूप से नहीं किया है। वह बात यह है कि हमें अपने शिशुराज में ऐसी परम्पराओं को कायम करने की आवश्यकता है जिससे प्रजाराज की बुनियाद मजबूती से कायम की जा सके ।

इन छः महिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको वगैर देखे हुए, जिन पर वगैर रोशनी डाले हुए, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कुछ उप-चुनाव इन छः महिनों में हुए हैं, में व्यक्तिगत रूप से इन चुनावों के सम्बन्ध में या इन चुनावों में कामयाब हुए साथियों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन कुछ बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित कहना चाहूंगा और आपके द्वारा, श्रीमन् राजप्रमुख व उनकी सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रजाराज की बुनियाद इस राज्य में कायम की जा रही है वह मेरी अल्प बुद्धि में सच्ची बुनियाद नहीं । अगर हम यहां प्रजाराज को ठीक तरह से कायम करना चाहते हैं तो इसकी आधारशिला को मजबूती से कायम करना होगा और प्रजाराज की आधारशिला है, चुनाव । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां चुनाव ऐसे होने चाहियें जिन पर किसी को शंका करने का अवसर न मिले, व सीजर की बीवी की तरह सन्देह से परे (above suspicion) हों। कुछ चुनाव हाल ही में हुए वे इस कसौटी पर खरे उतरेंगे या नहीं, यह मेरी समझ में सोचने की बात है। मैंने पिछले अधिवेशन के अपने भाषण में चुनाव का तजकरा करते हुए यह संकेत किया था कि हमारे यहां के चुनाव अच्छे तो हुए लेकिन वे खरी कसौटी पर खरे उतरने लायक नहीं समझे जायेंगे जब तक कि कुछ तत्व अपने विचारों तथा व्यवहार को ठीक तरह से नहीं ढालेंगे। इस लिहाज से चुनाव सही मायने में फेयर, फ्री और इम्पार्शियल नहीं कहे जा सकते। मुझे ऐसी सूचनायें मिली ह जिनको लक्ष्य में रख कर आपसे यह कहना चाहता हू कि कुछ चुनावों म ऐसी बातें बढती गई जिनके संबन्ध में जनता को बड़ा भारी अविश्वास और सन्देह है। लोगों के दिलों में यह बात पैदा हो गई है कि चुनावों म कामयाबी हासिल करना तब तक मुश्किल है जब तक कि वह किसी पार्टी का मेम्बर न हो; जब तक उसके पीछे लम्बे चौड़े साधन न हों, वह चुनाव में कामयाब नहीं

हो सकता । जनता के सम्मुख यह भी बात आयी है कि जब तक चुनावों में राज के बड़े बड़े अधिकारी या बड़े मंत्रियों का हाथ न हो तब तक कामयाबी हासिल करना असंभव है । अगर हमारे चुनाव इसी बुनियाद पर ढाले जाने वाले हैं तो मैं निस्सन्देह आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम एक बड़ी भारी गलती कर रहे हैं, हम प्रजाराज की ठोस बुनियाद कायम नहीं कर सकते । हमें खास तौर से इन बातों की ओर अवश्य सोचना है ।

कल एक चुनाव क्षेत्र के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ सवाल पूछे गये थे और उनके जवाब भी हमने सुने । मैं इस सम्बन्ध में आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने सोचा होगा कि हमने उन सवालों का कुशलता से, चतुराई से उत्तर दिया, लेकिन हमें उन जवाबों से सन्तोष नहीं हुआ, उल्टा हमारा सन्देह अधिक दृढ़ हो गया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें इन मामलों में बहुत साफदिली की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है । जितनी बातें पूछी जायं उनका जवाब साफ तौर से हाउस के सामने रखा जाना चाहिये । मेरे सामने बैठे हुए मंत्रियों से मैं यह कहना चाहता हूं और उन्हें यह याद रखना चाहिये कि वे सदन के प्रति जिम्मेवार हैं, यह उनके लिए नयी बात है, पहले भी कदाचित उनमें से मंत्री रह चुके हैं लेकिन इस समय के मंत्रीमंडल में व उस समय के मंत्री मंडल में बड़ा अन्तर है। जितना जल्दी वे इस अन्तर को समझलें हमारे लिए व उनके लिए अधिक बहतरी की बात होगी । वह अन्तर यह है कि वे ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे और न हम ऐसे जवाब सुनने के लिये तैयार रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने उत्तरदायित्व को समझलें और अपने आपको हमारे प्रति, इस हाउस के प्रति, जवाबदार समझें। हमारे प्रश्नों का उत्तर दें तो वह सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो । मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री अब भी जवाब देने की कृपा करें कि इस चुनाव के संबन्ध में मंत्रियों की गाड़ियों पर, उनके दौरों पर, एक एक मंत्री के पीछे कितना कितना खर्चा हुआ । मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन दिनों वे चुनाव क्षेत्र में रहे उन दिनों की उन्होंने तनख्वाहें ली है या नहीं ? हमारे मंत्रीमंडल में एक अर्थ मंत्री हैं; वे हमारे अर्थ व्यवस्था के सब से उच्च संचालक हैं । उनको कहना है कि वे पार्टी के काम के लिए गये, उनको अधिकार था कि वे अपनी पार्टी का काम करें । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे पार्टी क सेवक अवश्य हैं लेकिन वे प्रजा के सेवक भी इस समय हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन दिनों का वेतन नहीं लिया जिन दिनों में वे पार्टी के काम के लिए गये । उन्होंने प्रजा के खजाने से तनखा नहीं उठाई ? मैं उन लोगों में से हूं जो यह मानकर चलता हो कि प्रजाराज में पार्टी का होना आवश्यक है तथा बगैर दलबन्दी प्रजाराज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है । साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि जनता के इन्ट्रेस्ट के सामने पार्टी का इन्ट्रेस्ट कुछ नहीं होता । जब हम यह मान कर चलेंगे तभी हम अपने राज्य को सुखी और समृद्धिशाली बना सकेंगे। साथ में हमें यह भी मान कर चलना

चाहिये कि पार्टी का काम जनता के पैसे से कभी नहीं किया जाना चाहिये। अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो हम देश के अपराधी हैं।

हमारे देश में प्रजाराज एक बहुत कम उम्र का पौधा है। वह बढ़ता हुआ पौधा है जिसकी जड़ें हमें दृढ़ता से डालनी है। मजबूत नींव डालने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।

इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिये यह आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय, कि हम इस बात को गहरी दृष्टि से सोचें, अपनी अन्तरआत्मा में इस बात को सोचें कि जो काम हम कर रहे हैं, अपनी छोटी सी कामयाबी के लिये कर रहे हैं वह हमारे मुल्क के लिये खतरे का कारण तो नहीं हो रहा है। आज प्रजाराज में अदने से अदने व्यक्ति को, गरीब से गरीब आदमी को ऊंचा उठने का अधिकार है। लेकिन अगर ऐसे ही कार्य, जैसे चुनावों में हुए, होते रहे और यह घटना पुनः घटती रही, तो कोई भी गरीब आदमी यह स्वप्न में भी नहीं सोच सकेगा कि वह लेजिस्लेचर में जा सकेगा और न कोई सुन सकेगा कि लेजिस्लेचर में गरीब आदमी जा रहा है। मैं जो यह बात कह रहा हूं, वह कोई दल बन्दी की बात या व्यक्तिगत बात नहीं, यह देश के हित की बात है और हमें इस बात को सोचना है और इसका ठीक हल निकालना है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने राज्य में ऐसी परम्परायें कायम करें जिसके जरिये हम जन-कल्याण के कामों को मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ा सकें और ठोस और सच्ची परम्परायें कायम कर सकें।

इस संबन्ध में मैं श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में एक जो और इशारा हमको दिया गया है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान अपने तेजस्वी अतीत के साथ एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है और हमें उसमें एक गौरवपूर्ण वर्तमान जोड़ना है। मैं उनके इन विचारों की सराहना करता हूं लेकिन मुझे अफशोस है कि अगर हम उनके एक्शनों की तरफ ध्यान दें कि वास्तव में क्या हो रहा है तो हमको यकीनन मालूम होगा कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ दूसरा ही रहे हैं।

राजस्थान प्रान्त किस तरह से बना इस बात को आपके सामने कहने की जरूरत नहीं। कई कई पुराने रजवाड़ों ने, जिनके कितने ही लम्बे-चौड़े पुराने इतिहास रहे हैं आज भाईचारे के रूप में उन सारों ने इकटठे होकर राजस्थान के प्रान्त को बनाया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त के बन जाने के बाद हमारा यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिये कि इस प्रान्त में जो बिखरी हुई निधि और साधन हैं उनका विकास करना चाहिये। मैं आपको और हमारी सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की बहुतसी निधि पुरानी राजधानियों में है, बहुत कुछ दौलत पड़ी है जिसका

कोई शुमार नहीं। वह भौतिक दौलत के रूप में भी है और उनमें भारी आत्मिक शक्ति भी है । इन नगरों में मेटीरियल, मोरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनकी आप अवहेलना कर रहे हैं । आपके सामने उनके लिये क्या नक्शा है, मैं यह जानना चाहता हूं, जो इन राजधानियों में बसते हैं। मैं आपके सामने कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं मगर मैं वस्तु-स्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं। उन लोगों में आज निराशा और फ्रस्ट्रेशन (frustration) है । इन पुरानी राजधानियों में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग–धन्धों का कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई खास महत्व का काम न तो हुआ है और न हो रहा है। हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य से जो थोड़ा बहुत काम वहां के लोगों के लिये रहा है उसको भी जयपुर में लाने की कोशिश हो रही है । मुझे आप माफ करेंगे, मैंने कल एक प्रश्न किया था कि जोधपुर में गवर्नमेन्ट प्रेस को वहां से हटाने की योजना क्या सरकार के सामने है और उसका जो जबाब गवर्नमेन्ट ने दिया उसको मैंने सुना। वह यह था कि ',एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स'' (Administrative convenience) के लिहाज से यह बात हो सकती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि "एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स" का फिकरा ऐसा है जिसका मतलब हम भी समझ सकते हैं और जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स किसे कहते हैं और हमारे दिलों में यह तसल्ली नहीं है कि अगर यह बात जो होने वाली है होगी तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन को सहूलियतें होंगी। मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि, जहां से मैं आ रहा हूं, इस प्रेस के सम्बन्ध में लोग सरे बाजार यह कह रहे हैं कि यह छोटा सा अच्छा प्रेस जो वहां पर है, जिसके पीछे कई कुटुम्ब जोधपुर में पलते हैं, उसे भी वहां से हटाने की बातें जयपुर में चल रही हैं। यह बात तो नहीं है कि उस प्रेस के लिये सरकार के पास काम नहीं है। उस प्रेस के लिये तो बहुत काम है क्योंकि आप राज का काम सरकारी प्रेस के अलावा दूसरे प्रेसों को भी देकर करवाते हैं। ऐसी हालत में जो प्रेस वहां पर जमा हुआ है और जो एक आदर्श प्रेस है, जिसकी सानी का राजस्थान में दूसरा प्रेस नहीं है, जिसमें सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, ऐसे प्रेस को हटा कर आप एडमिनिस्ट्रेशन के मसले को सुलझा नहीं सकेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह बहुत बड़ी भूल होगी। आप मानें या न मानें, यह आपकी मरजी की बात होगी । मैं पूछना चाहूंगा कि उन पुरानी राजधानियों के महत्व को कायम रखने का क्या यही तरीका है? दूसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट का हैड क्वार्टर जोधपुर में है, उसका भी काम इतना हो जाता है कि यदि यह प्रेस वहीं रहे तो सिर्फ उसी का ४ या ६ महिने काम चल सकता है। इसके अलावा रेलवे आदि का काम इतना पर्याप्त है कि इस प्रेस के लिये काम की कोई कमी नहीं हो सकती ह। म तो जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह यह है कि इस प्रेस को हटाने का और कोई कारण हो सकता ह लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स का कोई कारण अभी नहीं हो सकता।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने.....

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री हरिदत्त:—मेरे समय में से १४ मिनिट श्री इन्द्रनाथजी को दे दिये जावें।

श्री अध्यक्ष:—आपको कितना समय लगेगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मुझे करीब आधा घन्टा और लगेगा।

श्री अध्यक्ष:—आधा घन्टा बहुत है। अच्छा आप कन्टीन्यु रखें।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं इस इन्टरप्शन के लिये क्षमा चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता था कि हाल ही में एक ऐसी बात और गुजरी है, उस हल्के में, जिस इलाके से मैं आ रहा हूं जिसके कारण से वहां के लोगों को बड़ा ही दु:ख हुआ है। यह दशहरे के अवसर पर हुआ। उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि दशहरे का महत्व सारे हिन्दुस्तान में कितना बड़ा है और खास कर दशहरे के लिये राजस्थान में मुझे तो यह कहा गया है कि दशहरा तो हमारा "नेशनल फेस्टिवल" है। इस सम्बन्ध में बहुत से सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों से मुझे यह सुनने का अवसर मिला है कि दशहरा हमारा एक नेशनल फेस्टीवल है, नाम तो मैं उनके नहीं बताना चाहता लेकिन सरकारी व गैर सरकारी हल्कों से यह बात सुन कर मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि जिस दशहरे का इतना बड़ा महत्व है और जिसका जो उत्सव सकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है, सदियों से मनाया जा रहा है, जिस पर २०००) या ३०००) रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होता, सरकार ने इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया। उन्होंने यह इन्तजाम किया कि दशहरा स्टेट क खर्चे पर नहीं मनाया जाएगा। प्रजा के रिप्रेन्जेटेटिव होने के नाते जनता ने हमसे कहा कि जो चीज हमारे यहां सदियों से हो रही है और जिसके लिये कोई विशेष खर्चे का कोई प्रश्न नहीं था केवल इस बात पर जनता की मांग को क्यों ठुकरा दिया गया कि इस उत्सव को मनाने के लिये बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। बजट में प्रोविजन करने का आपका काम है। हमने कभी इस पर कोई एतराज नहीं किया। आप दूसरे कामों के लिये हजारों रुपये का प्रोविजन रख रहे हैं। आप निजि कामों और दौरों में खर्च कर सकते हैं, पार्टी के कामों में बे-शुमार रुपया खर्च कर सकते हैं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारी बातें सही हैं, कि इस पर भी जनता की भावना के सम्मान के लिये २०००) ३०००) रुपयों का खर्चा कैसे भारी पड़ता ह, आप इसे क्यों नहीं कर सकते हैं? हमने अधिकारियों से कहा कि हम जनता से एक एक रुपया आदि वसूल करके इस उत्सव में लगावेंगे; आप महरबानी करके जो इन्तजाम सरकारी हल्कों की तरफ से हुवा करता था, वह तो करा दें। मगर हमारी वह मांग भी ठुकरा दी गई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि क्या आप जनता की भावना को, इसी तरह के काम करके, अपने साथ जुटाना चाहते ह? क्या आप इसी तरह

जनता का विश्वास हासिल करना चाहते हैं ? जहां आप हजारों, लाखों रुपया अन्य फिजूल के कामों में खर्च कर सकते हैं वहां आप जनता की मांग के लिए २-३ हजार रुपया खर्च नहीं कर सकते-यह आपके लिए कतई शोभा की बात नहीं है ? आखिर जनता ने चन्दा करके पैसा इकट्ठा किया और दशहरे का जलसा मनाया; परन्तु क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि पुरानी राजधानियों की परम्परागत प्रतिष्ठा, शोभा और शान को निभाने की दुहाइयां देने वालों के लिए यह शोभा की बात है ?

(विरोधी पक्ष की ओर से—Shame, Shame)

जब जनता के सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं और जनता को इन चीजों का माकूल जबाब नहीं मिलता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करके आप उन परम्पराओं को कायम नहीं रख रहे हैं- हमारे लिए बहुमूल्य निधि जो जनता का विश्वास है उसको ठुकरा रहे हैं, उनके दिलों में गहरा असंतोष पैदा कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप समय रहते २ हम लोगों की भावनाओं की कद्र करना सीखें, हमारे दिमागों को समझने की कोशिश कीजिये, असलियत को समझने की कोशिश कीजिये वरना डर है कि स्थिति कहीं काबू से बाहर नहीं होजाय।

कहने को तो हम प्रजा-राज कायम करना चाहते हैं परन्तु जिसके पीछे लाखों आदमियों की भावनाएं हैं उस कार्य को करने की हम चिन्ता नहीं करते। हमें ऐसा प्रजातांत्रिक वातावरण कायम करना चाहिये जिससे जनता के हृदयों में हम एक प्रकार का उमंग, उल्लास एवं उत्साह पैदा कर सकें जिसका पैदा किया जाना आज के जमाने में बहुत जरूरी है।

पश्चिमी मुल्कों में, जहां मेलों का इतना ज्यादा महत्व नहीं है; वहां स्टेट लेवल पर मेले organize किये जाते हैं। आप अपनी योजनाओं के जरिये इन मेलों को क्या रूप दे सकते हैं परन्तु इसके विपरित आप जनता के दिलों को क्यों दुखा रहे हैं ? हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा के बाबत श्रीमन् राजप्रमुख ने फरमाया कि हमारे प्रान्त की आर्थिक दशा बड़ी नाजुक और चिंतनीय है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। परन्तु इस नाजुक अवस्था को सुधारने के लिए श्री राजप्रमुख के भाषण में क्या संकेत है, क्या हल है ? इस मौजूदा सरकार ने पिछले ६ महिनों में कौनसा ऐसा काम किया है जिससे कि हम यह कह सकें कि हम आगे बढ रहे हैं। हमारे मुल्क की गरीबी को दूर करने के लिए कोई काम इस सरकार की ओर से नहीं किया गया है जिससे कि हम यह कह सकें कि इस सरकार ने फलां कार्य किया है। मुल्क के व्यापार--वाणिज्य को बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के अन्यान्य तरीकों को अपनाने से किसी मुल्क की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है; परन्तु इस दिशा में इस अभिभाषण में कोई संकेत नहीं किया गया है कि हमारी मौजूदा सरकार ने अमुक कार्य

इस दिशा में किया जिससे कि हम हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति को सुधारने के पथ में किंचित मात्र भी अग्रसर हुए हैं। चंबल योजना का जिक्र जरूर किया गया है परन्तु यह एक बहुत आगे की बात है इसमें बड़ा लंबा अर्सा लगेगा पहले इसका पूरा का पूरा ढांचा तैयार किया जायगा; फिर इसे Central Government मंजूर करेगी। बेशक यह योजना जब मंजूर हो जायगी तथा तत्पश्चात कार्यान्वित हो जायगी तो फिर जरूर हमारे प्रान्त को फायदा होगा लेकिन यह सब कुछ होने में एक लम्बा समय लगेगा परन्तु जो छोटे छोटे काम हमारे हाथ में हैं और हम अभी कर सकते हैं उनके निस्बत हमारी सरकार की क्या प्रगति है इसका दिग्दर्शन श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में नहीं किया हुआ है।

एक और बडे दुःख की बात यह है कि श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जवाई बंध की स्कीम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह तो मानी हुई बात है कि जवाई बंध स्कीम के मुकाबले और कोई दूसरी स्कीम राजस्थान में आपके सामने नहीं है। इस स्कीम पर आज तक ४ से ५ करोड़ रूपया खर्च किया गया है परन्तु श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। गत अधिवेशन में भी मैंने इसका जिक्र किया है। शायद हमारे टूटे फूटे भाषण जो यहां होते हैं या तो आपके पास उनकी रिपोर्ट पहुंचती नहीं है या वह रिपोर्ट अभी तक छपी नहीं है। और जो छपी है उसके प्रूफ रीडिंग में बड़ी सावधानी की जरूरत है। वास्तव में रिपोर्ट जल्द तैयार होनी चाहिए।

इस जवाई बंध स्कीम को महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है और इस काम को शीघ्र पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? इस काम को लंबा किया जाना आर्थिक दृष्टि से फायदे मंद नहीं है; बड़ी स्कीम के पीछे छोटी छोटी स्कीमों की कम परवाह करना और उन्हें बनाना आर्थिक दृष्टि से भयंकर भूल है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कीम को पूरा करने में ७–८ वर्ष और लगेंगे। ६–७ वर्ष तो होगये हैं अब ७–८ वर्ष ओर लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम किस आधार पर सोचें कि हमारा कल्याण होगा?

आप नई भूमि सुधार की स्कीमों की बात करते हैं परन्तु जहां तक मुझे सूचना है आपने जवाई एरिया के संबन्ध में कोई सुधार की योजनायें नहीं बनायी हैं। यह तो आपके लिए "Virgin soil" है। लेकिन न तो लगान नियत करने का कोई आधार बनाया गया है न खेतों के रकबे निश्चित हुए हैं, सारा काम *ad hoc* तरीके पर किया गया है। क्या यही मुल्क की दौलत को बढाने का तरीका है?

मुल्क में पैदावार बढ़ाने की चीजों पर पहले हमारा ध्यान जाना चाहिये वरना एसेम्बली में आने और जनता के लाखों रूपये बरबाद करने

से कोई फायदा नहीं। हम यहां इसलिए आये हैं कि आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि कौनसा काम आपको पहले करना चाहिये और कौनसा पीछे। जो मुल्क की बहतरी के काम हैं उन्हे पहले हाथ में लेना चाहिये और ऐसी जो योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये। यह नहीं की ढिलमिल नीति से काम होता रहे।

इसी संबंध में व्यापार--वाणिज्य तथा कुटिर उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली कोई बात श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में नहीं मिल सकी जिससे कि हम संतोष करें कि आप प्रान्त की तरक्की करने चले हैं। ६ महीनों का समय छोटा समय नहीं है। इस लम्बे समय में आपने क्या काम प्रान्त की बहतरी के लिये किया? प्रान्त के सामने आर्थिक उन्नति के जो काम हैं वे ६ महीनों में तो क्या, १० वर्षों में भी, आज की हालत को देखते हुए, पूरे नहीं होंगे। सच बात तो यह है कि इस ओर आप का ध्यान गया ही नहीं और जो कुछ ध्यान आपने दिया है वह नाकाफी है। हम चाहते हैं कि जो सरकार आज काम कर रही है उससे मुल्क के औसत दर्जे के लोगों की आमदनी बढ़े। ऐसे काम हों तो गरीबी मिट सकती है; वरना अन्य बातों से लाभ होने का नहीं है। दूसरा तरीका मुल्क की दौलत को बढ़ाने का है फिजूल खर्ची को रोकना। जो पहले कहा गया था इस संबंध में उसके फलस्वरूप कुछ कमी हुई लेकिन जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई मैं राजकीय सेवा में काम करने वालों के रिट्रेन्चमेंट को कमी नहीं मानता। मैं नहीं जानता कि यह कमी आप किस आधार पर या किन उसूलों पर कर रहे हैं। हमे सूचना दी गई कि केन्द्रीय सरकार से कोई एक्सपर्ट इस संबन्ध में बुलाया गया और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमले में कमी की जारही है। जब कभी यह मसला हमारे सामने आयेगा तब हम जांच करेंगे कि वह रिपोर्ट कहां तक लागू की जा सकती है। राजकोष का बहुत सा पैसा बेकार और मुफ्त में इधर उधर और अनावश्यक कामों में बरबाद हो रहा है। रोजाना अफसरों की तब्दीलियां इधर से उधर हुआ करती हैं। राजस्थान विशाल क्षेत्र वाला प्रदेश है। एक आदमी की बदली आप जोधपुर से धौलपुर कर दीजिये और बीकानेर से दूसरे आदमी की बदली करौली कर दीजिये, यह सब आप कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसी तब्दीलियां नामुनासिब हैं और वे नहीं होनी चाहिये। इससे राज्य कोष पर आने जाने के भत्तों का भार बहुत बढ़ जाता है। आये दिन बेकार तब्दीलियां होती रहती हैं और फिर कैंसिल होती रहती हैं। मैं समझता हूं ऐसी बदलियें होनी ही नहीं चाहिये और यदि होती हैं तो फिर केंसिल क्यों की जाती हैं।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रान्त में मोटर कारों और ट्रन्क टेलीफोन पर बेशुमार पैसा फिजूल खर्च होता है। मैं नहीं जानता कि यह बात मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में है या नहीं। क्या जरूरत है इस तरह से मामूली बातों के लिये ट्रन्क टेलीफोन करने की? ऐसे टेलीफोन करनेवाले यह समझते होंगे कि इसमें कोई खर्चा ही नहीं क्योंकि यह जो खर्चा होता है उनको थोड़े ही देना पड़ता है

मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी, जितने भी आंकड़े हैं, एकत्रित करें कि पिछले तीन सालों में हर एक विभाग में इस मद में कितना खर्चा हुआ है ? मैं इस तरह के प्रश्न भी पूछूंगा, यह मैंने उनको पूर्व सूचना देदी है ताकि उत्तर के लिये वे तैयार रहें। इस फिजूल खर्च को रोकना चाहिये। इसी तरह की बात गाड़ियों के सम्बन्ध में है । मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि पिछले अधिवेशन में मैंने कहा था कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्रियों के पास तो गाड़ियें हैं सो हैं हीं; पर कई विभागीय अफसरों के पास भी गाड़ियें हैं, जिनका दुरूपयोग होता है। जब ऊपर से दुरुपयोग होता है तो नीचे से सद्उपयोग की आशा नहीं की जा सकती। इस खर्चे को कम करना पड़ेगा क्योंकि यह अनावश्यक है । मैं यह नहीं कहता कि सारा ही खर्चा अनावश्यक है । लेकिन अधिकांश ऐसा है जो अनावश्यक कहा जा सकता है। इसमें कड़ाई, सख्ती होनी चाहिये। लेकिन यह तब ही हो सकता है जबकि हमारा खुद का ख्याल ऐसा हो ।

एक और बात आर्थिक क्षेत्र की यह है कि हमें मालूम हुआ है कि हाल ही में फाइनेन्शियल कमीशन जयपुर आया था और गवर्नमेंन्ट ने अपनी प्रार्थना उसके सामने रखी थी। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी महत्वपूर्ण बातें, जो हमारे प्रान्त से ताल्लुक रखती हैं उस सम्बन्ध में हमें सूचना मिलनी चाहिये। किन्तु दुःख की बात है कि हमें उसकी खबर तक नहीं रहती । जब हमें यह मालूम होता है तो हम यह महसूस करते हैं कि हमारा सहयोग क्यों नहीं लिया गया ? हमारे दिल में एक शंका पैदा होती है। जब आपको धन की आवश्यकता होती है तो आप इस हाउस के सामने आते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें यह ग्रान्ट प्रदान दीजिये । मैं यह पूछना चाहता हूं, अर्थ मंत्रीजी से, कि क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि जब फाइनेन्स कमीशन आने वाला था तो उससे पहले आप हमारे सामने ये सारी बातें रखते और इस हाउस को विश्वास में लेते और फिर फाइनेन्स कमीशन के सामने जाते ? मालूम नहीं कि अर्थ मंत्रीजी क्या सोचते रहे ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह मसला हमारे सामने नहीं आता है, हाउस की राय के लिये, तो हमारे लिये इससे गंभीर घटना दूसरी हो ही नहीं सकती। इसके न आने का कारण यह बतलाया जा सकता है कि समय बहुत कम था। मैं कहता हूं कि ऐसा कहना तो रोजमर्रा की बात है। आपके लिये समय कभी पर्याप्त होगा ही नहीं। आपको मालूम था कि विधान में फाइनेन्स कमीशन का जिक्र है और उसको दो साल के भीतर भीतर यहां आना ही था। आदिमें केन्द्र और हमारे प्रान्त के बीच आर्थिक समझौते हुए थे । अब तक जो कुछ हुआ वह उन लोगों के द्वारा किया गया था जो उस समय राज्य का काम चला रहे थे । वे प्रजा के प्रतिनिधि नहीं थे । आप प्रजा के प्रतिनिधि हैं । फाइनेन्स कमीशन जो सुझाव भेजेगा उनको भी पार्लियामेन्ट पास करेगी। फिर क्या कारण है कि वे बातें इस हाउस के सामने नहीं लाई गईं; हमसे क्यों पर्दा बरता गया । इसका मुझे कोई संतोषजनक कारण नहीं मालूम हुआ सिवाय इसके कि आप में अयोग्यता है जिसके कारण आप इसे हमारे सामने नहीं ला सके । जब आपके सामने प्रान्त की शिक्षा और

चिकित्सा को प्रोत्साहन देने व जनस्वास्थ्य सुधारने के प्रश्न आते हैं तब आप आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं और सबको एक ही चट्टान पर टकराना चाहते हैं; यह कहकर कि हमारे पास धन नहीं है । तो जब आपके सामने फाइनेन्स के मुत्तल्लिक ऐसे महत्व का प्रश्न आता है तो उसे आप हाउस की स्वीकृति के लिये हाउस के सामने क्यों नहीं रखते? यह आपकी बड़ी भारी भूल है, इसके लिये हाउस विचार करे और मुनासिब कार्यवाही करे। जब तक इस प्रकार के मसले इस सदन के सामने नहीं आयेंगे और जब तक आप ऐसी परम्परा नहीं डालेंगे तब तक हमारा यहां बैठकर समय बिताना बिल्कुल व्यर्थ की बात है।

मैं जानता हूं कि मैंने आवश्यकता से कुछ अधिक समय लिया है। मेरा प्रयास यह है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने भाषण को समेट लूं। मैं इसकी कोशिश करूंगा और अब दो चार बातें सूक्ष्म रूप में कह कर अपना आसन ग्रहण करूंगा ।

मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। वह बात यह है कि जनता के सुविधा की कुछ बातें हो रही हैं। जो कुछ श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में निर्दिष्ट हैं और उसके सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि हम मानी हुई नीति के अनुसार आगे बढ रहे हैं। मैं जैसा मेरे कई साथियों ने इस सम्बन्ध में कहा, इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूं कि हम आगे बढ रहे हैं। हमारी नीति क्या है यह भी हमें स्पष्ट मालूम नहीं है और फिर हम उस पर किस प्रकार आगे चल रहे हैं? उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। जनता की भलाई की बातें जो होनी चाहिये थीं वे नहीं होतीं।

हमारी आर्थिक स्थिति यह है और दूसरी ओर टैक्सेशन की नीति को देखिये। इन दोनों का बड़ा सम्बन्ध है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज नये नये टैक्सेज लग रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से बात की थी। बात तो बड़ी सज्जनता से सुनते हैं किन्तु कोई रिलीफ हमें नहीं मिलता और न मिला। अभी हाल ही में जोधपुर नगर में जब पानी की दरें बढ़ा दी गईं और दुगुनी करदी गईं। जब हम कहते हैं कि हम इन्कम टैक्स भी देते हैं और बावजूद इसके इतने टैक्स और बढा दिये जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि इन्कम टैक्स तो आप केन्द्रीय सरकार को देते हैं। लेकिन यह नहीं कहते हैं कि यह टैक्स भी तो राजस्थान के प्रजाजन ही देते हैं। चुंगी भी हम देते हैं। वास्तव में प्रश्न यह नहीं कि वह टैक्स लेते कौन हैं बल्कि यह कि यह टैक्स भी तो राजस्थान के प्रजा-जनही देते हैं चुंगी भी देते हैं कि भारत सरकार को। राजस्थान की चुंगी यों की यों ही कायम है। जोधपुर में ओक्ट्रोय लगने वाला है और इसके लिए बड़ा भारी आन्दोलन है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार इन टैक्सेज को कितना बढ़ाते जायेंगे ?

मैं अर्थ मंत्रीजी का पिछले बजट के भाषण पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तरह तरह के कानून लागू होगये हैं, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली

(प्रत्येक या परोक्ष) में । इन्कम टैक्स भी बढ़ा दिया गया है । चारों तरफ से टैक्सेज लाद दिये गये हैं। केन्द्रीय सरकार को चुंगी के बारे में एक मंत्रीजी से मैंने हाल ही में प्रश्न किया था। उनका कहना है कि हमारी आर्थिक हालत इतनी खराब है कि हम क्या करें ?

आपको इस टैक्स को ग्रेज्युअली कम करना चाहिए। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार भी यह टैक्स कम होना चाहिये। लेकिन यदि आप इस पर अमल करना चाहते हैं तो कुछ काम तो ऐसे हैं जिन पर अभी भी टैक्स लग रहे हैं, जो नहीं लगने चाहिये थे। लेकिन कई दफा बावजूद निवेदन करने के इसमें कोई रिलीफ मिला हो , कोई सहायता मिली हो—नजर नहीं आती । टैक्सेशन की नीति को सम्हाल कर रखना चाहिये और वह इतनी कमर तोड़ नहीं होनी चाहिए कि वे लोग, वे प्रजाजन जिनमें से आप भी हैं, इतने दब जायं कि उनका जिन्दा रहना भी मुश्किल होजाय। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि अब तो एक टैक्स बच रहा है और वह है सांस लेने पर । यदि यह टैक्स भी लगा दिया जाय तो न जिन्दगी रहेगी और न टैक्स ही। खैर ।

आर्थिक अवस्था के सम्बन्ध में जो मुझे आपसे निवेदन करना था वह यह बात थी । इसके साथ साथ बहुत थोड़े शब्दों में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शासन के क्षेत्र में भी कोई दर्शनीय उन्नति देखने में आई हो, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथियों ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला है। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर । किन्तु एक बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे शासन की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, यदि हमारे राज्य सेवक योग्य न हों, कर्तव्यशील न हों, इमानदार न हों, सेवा-भावी न हों । यह होना आवश्यक है । एक दूसरी बात जो और भी आवश्यक **और** है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि उन राजकर्मचारियों को राजनीति से अलग रखें। यह अवश्य किया जाना चाहिये और यदि यह बात नहीं हो रही है तो दोष आप ही का है। राज्य सेवकों को राजनीति में नहीं आना चाहिये, चाहे कोई पार्टी राज्य करे, चाहे आप हों या हम; या और कोई तीसरा दल हो। इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं निस्सन्देह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में प्रजातन्त्र को विकसित करने के लिए राज्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाय, इमानदार बनाय जाय, सेवा भावी बनाया जाय और उन्हें राजनीति में घुसाने का प्रयत्न न किया जाय। मैं यह जानता हूं कि किस प्रकार राज्य सेवाओं का राजनीति में प्रयोग किया गया, मैं जानता हूं कि बहुत से राज्य-कर्मचारियों को राजनीति में लाया गया और उनसे काम लिया गया पार्टी का; किन्तु मैं यहां इन बातों को नहीं कहना चाहता । यदि मुख्य मंत्रीजी जानना चाहेंगे तो मैं खानगी तौर से उन्हें बता सकता हूं । मैं नहीं चाहता हूं कि किसी राजस्थानी कर्मचारी के मार्ग में मैं कांटा बनूं क्योंकि मैं यह मानता हूं कि मंत्री परिषद के लोगों का ही दोष है जिनके कारण हमारे राज्य सेवाओं के सदस्यों को अपने मार्ग से विचलित होने का मौका मिला । यही बात थी जो मैं राज्य सेवाओं के विषय में अर्ज करना चाहता था । मैं आशा करता हूं कि

आप राजस्थान–राज्य--सुशासन को लक्ष्य में रखते हुए राज्य सेवाओं की ऐसी बुनियाद डालेंगे कि चाहे कौनसी ही पार्टी के हाथ में शासन हो, चाहे कोई भी दल हो, राज्यसेवाएं कर्तव्यशील होंगी, इमानदार होंगी और सेवा भावी होंगी; क्योंकि केवल ५–१० मंत्री ही तो मिल कर सारे राज्य का काम नहीं कर सकते। वे नीति निर्धारित कर सकते हैं किन्तु उसको कार्यरूप में परिणत करने वाले तो वे ही हैं जो हमारे हाथ पांव है । उन्हें आप न्याय का राज्य दीजिए । इस सम्बन्ध में और कई शिकायतें आई हैं, खास कर उनके प्रोमोशन्स, डिमोशन्स, रिटायरमेन्ट, पेन्शन्स के मामलों में। ये मामले अभी तक खटाई में पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं कि तीन साल हो गये रिटायर हुए किन्तु उनको प्रोविडेन्ट फन्ड नहीं मिल रहा है। कैसी स्थिति है यह? कैसे कहा जाय कि हमारा राज्य-प्रबन्ध सुचारू रूप से चल रहा है? मैं जानता हूं एक दो साथी मेरे भी हैं जिनको रिटायर हुए डेढ़ दो साल होगये किन्तु उनका प्रोविडेन्ट फन्ड अभी तक उन्हें नहीं मिला है। आप समझते हैं कि कदाचित जो आपके पास आता है वह एक ही आदमी होगा। किन्तु जो बर्ताव उसके साथ हो रहा है वही बर्ताव आज के राज्य सेवी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव होने वाला है । प्रोविडेन्ट फन्ड जो उनके खाते में जा चुका है उन्हें नहीं दिया रहा है एक अथवा दूसरे बहाने से। इन चीजों का भारी असर पड़ा रहा है। यही बात मेरे साथी श्री एच० के० व्यास ने भी कही है ।

टेम्परेरी सर्विसेज के सम्बन्ध में भी अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेम्परेरी सर्विस के भी कोई मायने होते हैं । कुछ लोग ५–७ साल से सर्विस कर रहे हैं और फिर भी टेम्परेरी है। ५--७ साल तक सर्विस करते हुए भी यदि उन्हें टेम्परेरी कहा जाय तो हम राज्य सेवाओं के उन कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं । यदि उनकी इतने लम्बे समय के लिये आवश्यकता थी तो क्यों नहीं आप उन्हें परमानेन्ट बनाते? यदि बाद में रिट्रेन्चमेंट करना हो तो कर लीजियेगा। इस नीति से न्याय नहीं हो सकता; जो आप बरत रहे हैं। सारे ही आदमी त्याग की भावना को लेकर, जैसी भावना कि आप लोग यहां लेकर बिराजे हुए हैं और हम में से भी और साथी हो सकते हैं, राज सेवाओं में काम करने वाले नहीं होते। उनके सामने तो रोजमर्रा के जीवन--यापन, जीने और मरने, का सवाल है।

और भी बहुत सी बातें तो हमारे विरोधी दल के नेता ने कह दी है; उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का एक वाक्य जिसको कि मैं समझ नहीं पाया हूं बहुत कोशिश करने पर भी, अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा वे मुनासिब समझें तो मेरी मुश्किल को हल करने की कृपा करें। पेज २ पर उन्होंने यह वाक्य लिखा है:--

"The decrease in crime following the preventive detention of some of them has justified preventiue detention

as a weapon for dealing with major crime and has indirectly proved their background part in the crime"

मेरी मुश्किल यह है कि अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे पेचदार (ticklish) होते हैं कि साधारण बुद्धिवाला आदमी उनका अर्थ नहीं समझ पाता। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह "देम" शब्द जो रखा गया है वह किस संज्ञा (noun) के लिये है ? इस वाक्य के पहले यह है–

"I would like to sound a note of warning to those anti-social elements who afford asylum to such fugitives from justice, or help them in their nefarious activities."

श्री टीकाराम पालीवाल:—"Them" refers to those who afford asylum to fugitives from justice.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:— This refers I think to those who afford asylum to fugitives for justice. I would like to place before you.....................

श्री अध्यक्ष:—Which page?

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Page 2, Sir.

(विराम)

I think you have got my point.

श्री अध्यक्ष:—Yes.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–(अपना भाषण जारी रखते हुए)

जो हिन्दी का अनुवाद इस अभिभाषण का हमारे हाथ में आया है उसमें जो अनुवाद हुआ है वह में आपके सम्मुख पेश करता हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह ओरिजनल नहीं है। मुमकिन है उसके अनुवाद में कुछ थोड़ी गलती रह गई हो।

श्री अध्यक्ष:–आप ओरिजनल देखिये। अंग्रेजी को प्रामाणिक माना जायगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–हाउस में ऐसे बहुत से मेम्बर हैं, जिनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है। बद-किस्मति से या खुश-किस्मती से कहें हमारे राजस्थान

प्रान्त में जहां १० प्रतिशत लोग शिक्षित हैं उनमें से एक या दो फीसदी भी ऐसे नहीं है जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। (अभि भाषण का अनुवाद दिखाते हुए) यह है चीज जो आम जनता के हाथ में जाने वाली है। यह भी प्रामाणिक रूप से हमारे यहां रखी गई है। जनता के हाथ में जासकती है। अगर इसमें गलती है तो इस गलती को दुरुस्त करना चाहिये। "उनमें से कुछ (डाकुओं) का निवारक अवरोध होने के अनुसरण में हुई" तो मेरी समझ में हिन्दी तरजुमा जो किया गया है उसमें ब्रेकिट में जो शब्द "डाकुओं" दिया गया है वह नहीं होना चाहिये, वह नहीं रखना चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गलती हुई है वह असाधारण है, इसको दुरूस्त किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं और मेरी समझ में ऐसी गलती होनी चाहिये भी नहीं।

श्री अध्यक्ष:—That should be taken to be correct when the leader of the house has told us so.

श्री टीकाराम पालीवाल:—मेरे ख्याल से यह बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं कि जिससे भ्रम होजाय। अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन किया गया है, उसमें ब्रेकिट में इस शब्द को लेने की जरूरत नहीं थी, किन्तु यह जो शब्द रखा गया है वह सर्वथा गलत भी तो नहीं है। हां, यह बात ठीक है कि इस शब्द की आवश्यकता नहीं थी। शायद अर्थ को साफ करने के लिए, उसको साफ तौर से समझाने के लिए, इसकी अनावश्यक सफाई कर दी गई है। बाकी अर्थ के अनर्थ होजाने वाली कोई चीज नहीं दिखाई देती।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—अध्यक्ष महोदय मैं समझता था कि एक गलती को सुधारने का सवाल था; लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने जो एक्सप्लेनेशन हाउस के सामने रखा है वह बजाय गलती को दुरूस्त करने के बहुत ज्यादा गलती में जा रहे हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—एक सफाई और दे दूं तो शायद शंका का समाधान होजायगा............

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण का हिन्दी अनुवाद हमारे पास आया है। यह भाषा शास्त्रियों का और राजनीतिक शास्त्रियों का माना हुआ उसूल है कि जो अनुवाद हो वह ओरिजनल के अनुरूप हों; उसमें अपवाद की कोई गुंजाइश नहीं। यही आधार भूत बातें है जिसको हमें स्वीकार करना चाहिये। जब हम दोनों मूल तथा अनुवाद को अलग अलग देखते हैं तो हमें यह मालूम नहीं होता कि प्रामाणिक चीज कौनसी है ? मैं अपनी दलील को संकुचित करने के लिए तैयार हूं इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है; लेकिन ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह था कि जहां तक अनुवाद का प्रश्न है प्रामाणिक चीज अंग्रेजी ही मानी जावेगी। यह जो शब्द ब्रेकिट में लिखा गया है वह अनावश्यक है और नहीं लिखा जाना चाहिये था। माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसके लिख देने से बड़ा अनर्थ होसकता है, भयंकर परिणाम होसकते हैं यह बात ध्यान में रखने के लिए प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के बारे में थोड़े से नाम देने हैं। उनमें से कहीं अधिक-ज्यादा व्यक्ति डिटेन किये गये थे इससे यह रिफलेक्शन नहीं समझना चाहिये कि कुछ लोगों के लिए खास तौर से संकेत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिटेन किये गये है, जिनका नाम मालूम नहीं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—मैं इस प्रश्न पर आ ही रहा था, अध्यक्ष महोदय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह ट्रान्सलेशन की अशुद्धि है, नहीं होनी चाहिये थी। इस संबन्ध में अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसे गंभीर मामलों में श्रीमन् राजप्रमुख जैसे व्यक्ति के अभिभाषण का जो हमारे सामने आरहा है गोलमाल वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। जिसका एक वर्ग अर्थ कुछ निकाले, दूसरा वर्ग दूसरा ही अर्थ निकाले। कुछ लोग इस तरह से अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। वे हमारे प्रान्त के प्रमुख हैं उनके अभिभाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिये जिसके एक से अधिक मतलब निकलते हों। इसलिये मेरे ख्याल से उनके अभिभाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिये था यही मेरा नम्र निवेदन है।

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—I am finishing within five minutes.

श्री अध्यक्ष:—Five minutes more.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष:—You have taken more than an hour. Now go on.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के संबन्ध में मैं जो खास बात ध्यान में जो लाना चाहता हूं वह यह है कि इस एक्ट का हमारे प्रान्त में भारी दुरुपयोग किया गया है और इस दुरुपयोग के समय की सीमा इस हद तक पहुंच गई है कि विरोधी दल के कुछ प्रतिष्ठित सदस्यों को भी उसके पंजे से सुरक्षित नहीं रखा गया और मुझे दुःख तो यों होता है और यह बात मुझे कहने का यों हक है कि मैं इस दल का एक सदस्य हूं और इसीलिये मैं अपना मन्तव्य ठीक तरह से पेश करना अपना कर्तव्य समझता हूं। सरकार को विरोधी दल के सदस्यों को इस कानून के नीचे गिरफ्तार करने से पहले भारी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये था

और मेरा यह नम्र निवेदन है कि उस जिम्मेवारी से काम नहीं लिया गया । मैं तो यह समझता हूं कि यों तो विरोधी दल के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ था और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहूं तो विरोधी दल के सदस्यों पर एक प्रकार का प्रहार था। मैं यह कहूंगा कि यदि इस हाउस में कोई भी आदमी हो सकता जो डाकुओं को मदद दे और अगर यह मालूम हो जाए कि वह व्यक्ति ऐसा करता है तो, आप मुझे गलत न समझिये, मैं सबसे पहला आदमी हूं जो यह निवेदन करूंगा कि कल से पहले आज और आज से पेश्तर अभी उनको जहां चाहे भेजिये । सवाल यह है कि उन लोगों पर केवल शक ही शक में मुकद्दमें बनाये गये, जो या तो एडवाइजरी ट्रिब्युनल के पास भेजे गये या हाई कोर्ट में गये। विरोधी दल के कम से कम दो प्रमुख सदस्य पकड़े गये और वे दोनों ही रिहा हुए और निर्दोष साबित हुए । पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह खिलवाड़ क्यों किया गया ? सरकार की ओर से किन २ कारणों से उनको पकड़ा गया और अगर वे कारण सही थे जैसा कि इस वक्तव्य के जरिये से सिद्ध करने की कोशिश की गई है तो मैं आपका ध्यान राजप्रमुख के भाषण के उन शब्दों की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

"Has indirectly proved their background part in crime"

मैं जानता हूं कि यह किस तौर पर, किसी भाषा शास्त्री ने बहुत चतुराई से लिखा हैं; लेकिन हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं इतने मूर्ख नहीं हैं कि उनकी लिखावट को समझ नहीं सकते । वे इस बात को डाइरेक्टली नहीं कह सकते; इसलिये इन्डाइरेक्टली यह बात कही गई है जिससे कि जो नीति उन्होंने काम में ली है जिससे उसकी पुष्टि हो जावे। मैं इस बात के लिये क्षमा चाहूंगा लेकिन पूरे जोर के साथ यह कहूंगा कि यह सब विरोधी दल के लोगों के साथ, जो इस प्रकार का बर्ताव किया गया, वह अक्षम्य था और वह साबित हुआ । वह हमारे पर एक प्रकार का प्रहार था । राजपक्ष के रवैये के औचित्य को सिद्ध करने के लिये यह सारा फिकरा जोड़ा गया; जनता और भारत सरकार को यह दिखाने के लिये कि जो काम हमने किया है वह उचित था और उसके कारण हमारी सुरक्षा और शांति की स्थापना हुई है। यही सारा थीम (theme) है इस पेरे का। मैं यहां पर इस बात को गलत कहने के लिये खड़ा हुआ हूं, गलत साबित करने के लिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां पर डाके पड़ते थे, चोरियें होती थीं, लूट खसोट होती थी तो उसका एक कारण था "शासन की शिथिलता" और जब उसी शासन की शिथिलता को लेकर इस हाउस के अन्दर जो कुछ भी सुझाव दिये गये और बाहर भी दिये गये, गवर्नमेन्ट कुछ सचेत हुई और सावधान हुई और उनके पुलिस-विभाग ने सावधानी से काम करना शुरू किया तो उसके परिणाम स्वरूप वह चीज खतम होगई। उसमें बहुत सुधार हुआ। लेकिन इसका इस परिणाम का महत्व बहुत कुछ कम होजाता है जब आप इस बात की पुष्टि एक गलत बात से करते हैं । आप "साध्य की शुद्धि" के साथ साथ "साधन की शुद्धि"

का भी ख्याल रखें। चूंकि हमारे यहां लॉ एन्ड ऑर्डर की हालत खराब थी और बहुत सी बातें आपने विरोधी दल के बारे में कही थी और उन कही हुई बातों को सिद्ध करने के लिये आपने बहुत से व्यक्तियों की गिरफ्तारियें की। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि जितनी गिरफ्तारियें की गई हैं उसमें से १०० प्रतिशत नहीं तो ७५ प्रतिशत गिरफ्तारियें बगैर किसी कारण के की गईं और जो लोग गिरफ्तार हुए वे न्यायालयों और ट्रिब्यूनल में निर्दोष साबित हुए। मैं चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जब वे हाउस के सामने जवाब दें तो हाउस के सामने लिस्ट पेश करने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी पकड़े गये और कितने रिहा हुए और कितनों को ट्रिब्यूनल व हाई कोर्ट ने रिहा किया। जब हाउस के सामने यह मसाला आवेगा तब हमको इस सम्बन्ध में बहस करने का मौका मिलेगा। इस सदन के सदस्यों की जो गिरफ्तारियें हुई ये बिल्कुल अनुचित थीं और जनता ने उनको अनुचित समझा। उन गिरफ्तारियों का कारण एक मात्र राजनीतिक था और कोई दूसरा कारण नहीं था।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम और आप मिल कर हमारे प्रान्त में एक न्याय का राज्य स्थापित करें, प्रेम और सहयोग की भावना से काम करें। एक तरफ तो हमें प्रेम और सहयोग की भावना से काम करने के लिये कहा जाता है और दूसरी ओर विरोधी दल के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया जाता है और उनको न केवल राजस्थान में ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान में बदनाम किया जाता है। सरकार का यह कहना कि राजस्थान सरकार ने प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के कारण शांति और सुख हुआ है तो मैं यह कहूंगा कि यह बात बिल्कुल गलत है। जो कुछ शांति और व्यवस्था में सुधार हुआ है उसकी मैं सराहना करता हूं और वह करनी ही चाहिये लेकिन यह शांति और सुरक्षा की बात जब प्रिवेन्टिव डिटेन्शन को लेकर जिस तरीके से कही जाती है तो मैं समझता हूं कि वह सर्वथा असत्य है।

माननीय अध्यक्ष, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और अन्त में इतना ही निवेदन करता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख ने नीति-निर्देश के रूप में हमें जो कुछ बात कहीं हैं उसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं और हम उनको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस अभिभाषण में कितनी ही वे बातें नहीं कही गई हैं जिनका उल्लेख आवश्यक था। लेकिन जो जो बातें कही गई हैं और खास कर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के सिलसिले में इन बातों से हमें सख्त एतराज है और हम समझते हैं कि इस अभिभाषण में राजस्थान की वर्तमान शासन स्थिति का वास्तविक चित्रण नहीं है। वे ऐसी बातें हैं जिन्हें न तो हमारे हृदय और न हमारी पब्लिक ही मानती है। इसलिये अगर हम उन बातों का स्वागत न करें तो आप हमें क्षमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष:—Shri Gopi Lal Yadav will move his amendment.

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय श्री अध्यक्ष महोदय ! पिछले ६ महिनों पहले जिस वक्त कि हम लोग अधिवेशन में आये थे, बड़ी तबियत प्रसन्न थी और तबियत बोलने को भी चाहती थी, लेकिन इस वक्त इतनी निराशा मेरे अन्दर हो रही है और मैं दूसरी ओर हाउस के अन्दर और बाहर देखता हूं कि चारों ओर निराशा छा रही है । बड़ी मुश्किल से मैं इस योग्य अपने आपको कर सका हूं कि बोल सकूं और यह amendment मूव कर सकूं। इसका कारण यह है कि हमने पिछले सेशन में जो कुछ कहा वह ऐसे बहरे कानों पर गिरा कि उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं ईमानदारी से यह अनुभव कर रहा हूं कि यहां Legislative Business पर जितना देश का करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है वह सब व्यर्थ है। ५-७ कांग्रेस पार्टी के मेम्बर एक कमरे में बैठ कर शासन चलाते रहें तो करोड़ों रुपये तो बचें।

महज इस आशा से कि शायद हमारे मंत्री हमारी बातों को सुन कर राह पर आ जायं इसलिये मैं बोलने को उद्यत हुआ हूं ।

अब मैं अमेन्डमेन्ट पेश करने से पहले मूल प्रस्ताव पढ़ कर सुना देता हूं:--

"that the members of the Assembly assembled in this session are deeply grateful to His Highness the Rajpramukh for the address which he has pleased to deliver to the House."

और इसके आगे मैं यह जोड़ना चाहता हूं:-

"but regret that the Address neither contains a real picture of the administration nor contains the requisite advice to the Ministry on important matters and to remove corruption and official lawlessness or to quit in order to build healthy democratic convention."

माननीय अध्यक्ष ! मेरे मित्र श्री इन्द्रनाथजी मोदी ने जैसा कि अभी बताया कि श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण वास्तव में शासन के असली चित्र को हमारे और जनता के सामने नहीं रखता, बिलकुल ठीक है। उसमें वास्तविकता को छुपाया गया है। भाषण के अन्दर सबसे बड़ी चीज जो मुझे बहुत अधिक खटकती है वह अन्न समस्या के ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह है।

पहले यह कहा गया कि अन्न समस्या बड़ी विकट थी, अब उसमें सुधार हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्न समस्या कोई ऐसी नहीं थी जिसको हम कह सकें कि अन्न समस्या थी। मेरा विश्वास है कि अन्न

समस्या गवर्नमेन्ट की ओर से बनावटी तौर से पैदा की गई है। हम उम्मीद करते थे कि गवर्नमेन्ट जब हमारे हाथों में आयगी तो ७५-८० प्रतिशत रुपया शिक्षा पर लगायेंगे। गवर्नमेन्ट ने देखा कि लोग मांग करेंगे कि क्यों नहीं Primary Education, कम्पलसरी और निःशुल्क करते और देश के हरएक बच्चों को पढाते। गवर्नमेन्ट अंग्रेजों की नीति पर चल रही है कि देश के बच्चों को अशिक्षित रखा जाय और Divide and Rule की पोलिसी से शासन करें और इसी लिये बहाना किया जा रहा है कि अन्न समस्या का हल करना है। अध्यक्ष महोदय, यह अन्न समस्या यहां इस वक्त इस गलत तरीके से बनाई गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। चार करोड़ का अन्न राज्य गोदामों में भरा है, पब्लिक के पास अन्न भरा है, Central Government के पास 'अन्न भरा है, Provincial Governments के पास अन्न के गोदाम भरे हुए हैं, फिर भी अन्न की समस्या बनी हु है। अगर अन्न समस्या हो भी, तो भी उसका ६ महिनों में हल हो सकता है। नदी-घाटी योजनाओं पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर हैं, उनसे १० साल में जाकर फायदा होगा। यदि आप उस रकम का चतुर्थांश भी कुए खुदवाने के लिए, किसानों में आधी रकम लोन के रूप में और आधी रकम मुफ्त बांटें तो एक साल में ६० हजार कूए तैयार हो सकते हैं और इस समस्या का हल हो सकता है।

लेकिन इनको तो अन्न समस्या का हौवा बनाये रखना है, जिससे लोगों को यह कहा जा सके कि लोगों का पेट ही नहीं भरता है; फिर पढाई कहां से करायें। दरअसल बात यह है कि अन्न देश में देश की जरूरत से ज्यादा है और राजस्थान में राजस्थान की जरूरत से ज्यादा अन्न हैं और जो अन्न आज गोदामों में सड़ रहा है उसको बाजार में डाल दिया जाय तो ३-४ सेर का जवार और बाजरा बिक सकता है।

जिस वक्त प्रजातंत्र की स्थापना देश में हुई तो हम समझते थे कि लोगों की गरीबी मिट जायगी और देश में वास्तव में खुशहाली पैदा हो जायगी परन्तु देखने में आ रहा है कि जो शासन पहले थे, जिनको हम बुरे कहते हैं, उनसे भी ज्यादा बुरा शासन अब होगया। आज हमें शर्म आती है जब हम बसों, में, लों में और सड़कों पर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि इस हकूमत से तो राजाओं की हकूमत ही अच्छी थी। हमने उस हकूमत से टक्कर ली, लड़ाई लड़ी परन्तु लोग कहने लग गए हैं कि हिन्दुस्तान के लिए तो Democracy सूट नहीं करती। पता नहीं यदि देश के सारे के सारे लोग इस धारणा के बन जांय तो देश में इसका क्या परिणाम हो।

अंतः हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम इस प्रकार का शासन चलाएं जिससे देश का हरएक बच्चा यह कहे कि प्रजातांत्रिक शासन एक अच्छा शासन है।

सर्विसेज के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मुझे इस कदर अफशोस है इस बात का कि आर० ए० एस० की एक

लिस्ट निकाली गई। उसमें बड़े बड़े ओफिसर्स और ट्रिब्युनल्स ने इंटरव्यू करके सीनियोरिटि फिक्स की। पर बाद में जब कुछ लोग उसमें नहीं आते हैं तो उनके लिये नये रूल्स बनते हैं और पहले वाले फैसले को बदला जाता है और उसमें जो ऊंचे स्थान पर थे उनको नीचे स्थान पर लाया जाता है और नीचे वालों को ऊंचे स्थान पर लाया जाता है और पहलेवाली लिस्ट में से कुछ को निकाल भी दिया जाता है। मैं इसे ओफिशियल लॉलेसनेस ही कहूंगा। मैंने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की लिस्ट देखी है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने स्वप्न में भी यह नहीं जाना कि रेवेन्यु का कार्य कैसे होता है? वे रेवेन्यू के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेन्ड (Trained), हैं और जिनको पांच पांच और आठ-आठ साल का अनुभव है और जिन्होंने बड़ी सतर्कता और होशियारी से रेवेन्यु का काम किया है; उनका नाम तक उस लिस्ट में नहीं है। उनकी जगहों पर मिनिस्टरों के पी० ए० और दूसरे लोग, जिनकी पोजिशन सीनियर क्लर्क से ज्यादा नहीं थी उनको एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री बना दिया गया है और जिनकी पोजिशन सेक्रेट्रीज के बराबर थी उनको सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया गया है। मत्स्य में जब इन्टिग्रेशन हुआ तब अपील का प्रोविजन रखा गया था और इन अपीलों को सुनने का अधिकार हाई कोर्ट को दिया गया था। उनके फैसले सुनने के बाद वहां सीनियोरिटि फिक्स की गई थी और अब वहां की फिक्स की गई सीनियोरिटि बीच में ही बदल दी गई है। यह माना जा सकता है कि बाहर के आदमी ज्यादा काबिल हों या सीनियर हों; पर जब रूल्स के अनुसार सेन्टर से आये हुए एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जिसका स्टेटस यहां आनेवाले लोगों से कम नहीं था और यहां वालों के बराबर ही वे योग्यता रखते थे, उनके द्वारा जो चीज तय की गई थी उसको बदलने की क्या आवश्यकता थी? यह ओफिशियल लॉलेसनेस नहीं तो और क्या है। मैं और घटनाएं बताऊंगा जिनसे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगें। क्या यह शासन है?

इस वक्त गांवों में किसानों की जिन्दगी एक मुसीबत की जिन्दगी बन गई है। मैंने एक खेत बोया है और फसल तैयार होने आई है। कुछ कांग्रेस के आदमी तहसीलदार को साथ में लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह खेत तुम्हारा नहीं है इसे इनको देदो। मैं कहूंगा कि इसी तरह के हजारों किसानों को बेदखल किया गया है। वे ट्रेस्पासर नहीं थे। वे पिछले पांच साल से खेती करते आये हैं, उन्होंने लगान बराबर दिया है। उनका कोई कसूर नहीं होते हुए भी उनकी खड़ी फसल इधर से उधर देदी जाती है। इस तरह की चीजें आज राजस्थान में हो रही हैं। आज ४०० से अधिक रिट पिटीशन्स हाई कोर्ट में फाइल हुई हैं। वे एडमिट हो चुकी हैं। उनमें से एक एक पर गवर्नमेन्ट और किसानों का खर्चा सब मिला कर १०००) रुपया रखा जाय तो इस हिसाब से सब मिलाकर चार लाख रुपये खर्च पडेगें। सैकडों ऐसे केसेज हैं जिनमें गवर्नमेन्ट के फसले को हाई कोर्ट ने बंदल दिया है। क्या हम इस चीज को समझ नहीं सकते। एक किसान हजारों रुपये खर्च करके हाई कोर्ट में आता है तो क्या हमारी गवर्नमेन्ट की यह ड्यूटी नहीं है कि यदि एक रिट हाई कोर्ट में मंजूर होजाती

है तो दूसरे केसों में गरीबों के साथ न्याय करें? पर वे तो समझते हैं कि यदि ४–५ केसेज में खेत वापिस दिला दिये गये तो क्या हुआ, बाकी के तो हमारे रिश्तेदारों के पास रह ही जायेंगे। यदि गवर्नमेन्ट को पट्टे बदलने हैं तो मई–जून के महिनों में बदल देते। यह कोई चीज नहीं कि खड़ी फसल के समय उन्हें बेदखल किया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि हाउस एक कमेटी बनावे जो ऐसे मामलों की जांच करें। होता क्या है कि जो बेदखली के पट्टे देने वाले हैं वे यह तय करते हैं कि उसका एक तिहाई हिस्सा उनके घर पहुंचाया जाय। मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं। मैंने इसके बारे में एक मिनिस्टर साहब को कहा था कि आप एक टैस्ट केस के तौर पर इसकी जांच करावें। मैं साबित कराऊंगा, परन्तु उसके बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया। मैंने राजस्थान सरकार के एक सेक्रेट्री साहब से मिलकर कलेक्टर अलवर के नाम कई पत्र लिखवाये परन्तु आज तक उनका कोई जवाब नहीं मिला। जिन लोगों ने ऐसे पट्टे प्राप्त किये हैं वे कहते हैं कि तुम मिनिस्टर, सेक्रेट्री और क्या दिल्ली भी चले जावो तो भी हमारी चीज नहीं बदल सकती। अब किसान सोचने लगे हैं कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वाली बात यहां चलती है। यदि हमें अपने पार्टी की रक्षा करनी है तो पहले लाठी को तैयार करना चाहिये, यह भावना राजस्थान के बच्चे बच्चे के दिल में पाई जाती है और उसका कैसा भयंकर परिणाम होगा यह काफी सोचने की बात है। मुझे देश का भविष्य बहुत अंधकारपूर्ण नजर आ रहा है। अभी ही यह प्रजातंत्र कायम हुआ है और लोग यह समझने लगे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है यानो जिसकी लाठी मजबूत है उन्हीं के पास पट्टे रहेंगे। ऐसी हालत में आप समझ लीजिये कि प्रजातन्त्र की बुनियाद किस चीज पर डाली जा रही है।

माननीय अध्यक्ष, मैं एक दो बातें और निवेदन करूंगा और हाउस का अधिक समय नहीं लूंगा। वे बातें ये हैं कि प्रजातंत्र की बुनियाद यदि हम मजबूत रखना चाहते हैं तो कम से कम हमें प्रजातंत्र के उन डेमोक्रेटिक इन्स्टिटयूशन्स को कायम रखना होगा जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं। जहां पर चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज थीं वे आज तोड़ी जा रही हैं। कोटा की म्युनिसिपेलिटी के लिये एक अफसर भेजा जाता है। वहां वाले कहते हैं कि हमें इन अफसर महोदय की जरूरत नहीं है। इस पर उक्त म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड (Supersede) किया जाता है। इसी तरह से दूसरी कई म्युनिसिपेलिटियां तोडी गई हैं। कई म्युनिसिपेलिटियों के विधान बने २०–२० साल हुए हैं और उनके चुनाव बराबर नियमानुसार होते हैं और वे अच्छी तरह से काम कर रही हैं। उनके खिलाफ कोई चार्जेज नहीं हैं। फिर भी कोई जवाब पूछे बगैर उनको भंग कर दिया जाता है। भरतपुर म्युनिसिपेलिटी आज चार साल से टूटी हुई है और थोड़े से कांग्रेसी वहां हकूमत कर रहे हैं। यदि किसी म्युनिसिपेलिटी को भंग किया जाता है तो उसके लिये कुछ कारण तो होना चाहिये। पर ऐसा कारण न होते हुए भी भंग करदी जाती है और चार चार साल तक चुनाव नहीं होते। जब चुनाव होने को होते हैं और उनको यह शंका होजाती है कि हम कामयाब नहीं होंगे तो सेक्रेट्री महोदय वहां पहुंचते हैं और चुनाव को रोक

देते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या प्रजातंत्र की बुनियाद सही तरीके पर इसी तरह डाली जा रही है? पुराने जमाने में राजाओं ने भी कभी म्युनिसिपेलिटियों में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि झूठा प्रचार करने वाले, जिनके हाथ में अखबार हैं और जो गोबल्स के प्रचार के तरीके अख्त्यार करते हैं आज क्या क्या कारनामे कर रहे हैं?

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा है कि देश की उन्नति तभी हो सकेगी जबकि सभी पार्टियें आपस में मिल कर काम करें। क्या यहां आपस में मिलने का काम हो रहा है। परसों जब हम लोग यहां आकर बैठे तो मुझे दोनों तरफ के लोगों की ऐसी शक्लें नजर आईं कि यदि आप बैठे हुए नहीं होते, अध्यक्ष महोदय, तो शायद वे आपस में लड़ पड़ते। ऐसा मालूम हो रहा था कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। प्रेम-भावना किसी में नजर नहीं आ रही थी; आपस में मोहब्बत का नाम भी नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि अध्यक्ष महोदय, कि सारे देश के अन्दर यह कायदा है कि ओपोजिशन को पार्ट आफ गवर्नमेन्ट माना जाता है और हिज मेजिस्टीज ओपोजिशन माना जाता है और कोई इम्पोरटेन्ट काम नहीं किया जाता, जब तक कि ओपोजिशन के लीडर्स से सलाह न करली जाय; लेकिन हमारी गवर्नमेन्ट इस चीज को इस वक्त खत्म किये हुए है। मैं कह देना पसन्द करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार अधिक से अधिक टैक्सेज बढ़ा रही है और उसका अधिकतर असर पड़ रहा ह किसानों पर। यहां एग्रीकल्चर इनकमटेक्स का सवाल पैदा हो रहा है। पिछली दफा राजप्रमुख के भाषण के सम्बन्ध में बजट पर बहस के समय इसका जिक्र किया गया और मेरे मित्र चीफ मिनिस्टर महोदय ने कहा था कि उसकी कोपीज आपके पास पहुंच जायगी, खामोख्वाह एतराज कर रहे हैं और वह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो रेन्ट वसूल कर अपनी आमदनी बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोपीज मिलीं तो हमने देखा कि खुल्लम खुल्ला किसानों पर यह टैक्स लगाया गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि १७ करोड़ की आमदनी में से ७५ प्रतिशत ऐसी आमदनी है जो गलत तरीके से किसानों से वसूल होती है और थोड़ा सा टैक्स इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट पर। आज इस गवर्नमेन्ट ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि ७५ फीसदी जनता पर टैक्स का जो बोझ पड़ा हुआ है वह कम हो। किसानों की माली हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। जहां पर टैक्स को कम करने का सवाल है वहां नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं। शायद वे किसी वेस्टेड इन्ट्रेस्ट की वजह से लग गये हों।

अब मैं आपको थर्ड पार्टी मोटर इन्शयोरेन्स के विषय में भी बताना चाहता हूं। एक पार्टी मोटर रखती है, ६५ रुपया थर्ड पार्टी को देकर। ये एक्सीडेन्ट के लिए होते हैं। ६५ रुपया हर साल जमा होता है। यह रुपया जाता है कम्पनियों के खजाने में। यदि वह गवर्नमेन्ट के खजाने में चला जाय तो अच्छा

हो। (मैंने तो कोई एक्सीडेन्ट किया नहीं) थर्ड पार्टी इन्शयोरेन्स किया गया जिसका उनको कोई फायदा नहीं। अगर कोई एक्सीडेन्ट कर दिया जाता है तो कम्पनी को पार्टी नहीं बनाया जाता है। थर्ड पार्टी इन्शयोरेन्स करके फी मोटर ६५ रुपया कम्पनी के खजाने में डाल दिया जाय, यह कैसी विचित्र बात है। यह हो क्या रहा है। हमारी हकूमत की पोलिसी मालदार आदमियों को मालदार बनाने की है जैसा कि मेरे मित्र, श्री इन्द्रनाथ मोदी, ने कहा कि इनसे रुपया लेकर चुनावों में खर्च किया जाता है। मुझे किसी मित्र की कामयाबी पर कोई नाराजगी नहीं है किन्तु जितने भी मिनिस्टर वहां गये उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कम किया है। जिस वक्त जनरल इलेक्शन होने होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेन्ट हकूमत सम्हालती है। उस वक्त में किये गये प्रोपेगेन्डा से पब्लिक पर कोई खास असर नहीं पड़ता किन्तु जो पांच साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं, वे अगर प्रोपेगेन्डा करें तो उसका असर पब्लिक पर और ही तरह का पड़ता है। एक कलेक्टर और आई. जी. पी. जाकर असर डालें तो उनका असर दूसरा पड़ता है। इस प्रकार गलत कन्वेन्शन करने से गलत असर पड़ता है। अतः हमें करना तो यह चाहिए कि अगर बाइ इलेक्शन पांच साल में हों तो कोई पार्टी का मेम्बर जो हकूमत में हों, वहां न जाय। दूसरा नमूना इन्हीं चुनावों के विषय में देखिये कि जब किशनगढ में चुनाव होने वाले थे तो इस चुनाव में ४०० आदमियों को जमीनों के पट्टे दिये गये। अध्यक्ष महोदय, जब मेरा चुनाव होने वाला था उसके एक महीने के पहले उन शरणार्थियों को, जिनके क्लेम्स एडमिट ही नहीं किये गये थे, जमीने दे दी गई। अगर एक चुनाव में दो तीन लाख रुपया खर्च किया जाय तो क्या ये फेयर इलेक्शन्स कहे जा सकते हैं ?

क्या कोई गवर्नमेन्ट इस हालत में इस बात पर गौर कर सकती है कि डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युशन्स को ठीक ढंग पर कायम करना जरूरी है। मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यदि हमें देश में अच्छी परम्पराओं को कायम करना है तो वे अच्छी बातों से ही की जा सकती हैं; इस बात की जरूरत नहीं है कि रियल पिक्चर लोगों के सामने न रखी जाय और कह दिया जाय कि स्थिति में सुधार हुआ है।

दूसरी बात जो कही गई है उस पर मुझे आश्चर्य होता है, और वह यह कि पाकिस्तान की ओर से जितने हमले होने चाहिये थे, नहीं हुए (हंसी) मैं आपको राजप्रमुख के अभिभाषण में जो कहा गया है वह पढ़ कर सुनाता हूः—

"हमारे पुलिस दल को पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर निरन्तर सतर्कता रखनी पड़ी है। कुछ हमलों के सिवाय गत ६ महीनों में कोई संगठित और विशाल आक्रमण सीमा के पार नहीं हुए हैं"

अतः यह माना जाय कि कुछ हमले जरूर हुए हैं। उधर से उनकी हिम्मत हो सकती है कि वे हमारे पर हमला करें

और हम इस बात से खुश होजायं कि कोई विशाल हमले नहीं हुवे। हमारी ताकत तो इतनी होनी चाहिये कि हमला तो क्या हमारी तरफ आंख उठा कर देखने का भी कोई होसला न करें; अतः हमें मानना पड़ेगा कि हम इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहे है।

लॉ एन्ड ओर्डर के सम्बन्ध में भी दो चार बातें हुई हैं। गवर्नमेन्ट ने जरा भी ध्यान नहीं दिया उन केसेज की तरफ जो कोर्ट्स में पड़े हुए थे। जितने भी केसेज डेकोयटी पर चले, नाकामयाब हुए; क्योंकि उनका इन्वेस्टिगेशन प्रोपर (उचित) नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन प्रोपर नहीं होनें से सैकड़ों डाकू छोड़ दिये गये। क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है? एक आदमी मर्डर करता है, किन्तु दो चार हजार रुपया इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर को जब दे देता है तो इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर उसके पक्ष में मामले को बना देता है और जाकर छूट जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस समय गवर्नमेन्ट के खिलाफ कोर्ट्स में १॥ करोड़ रूपयों के दावे पड़े हुए हैं जिनमें गवर्नमेंट को नोटिसेज दिये गये थे। नोटिसेज के दे दिये जाने पर भी गवर्नमेन्ट की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और १-२ केसेज तो एक्सपार्टे भी तय हो गये है। अतः अब गवर्नमेन्ट को रुपया देना ही पड़ेगा। लॉ सेक्रेट्री भी बैठे हुए हैं; वे भी इस बात को जान सकते हैं कि लोगों के क्लेम्स को तय करना ही पड़ेगा। यदि उनके नोटिसेज आने पर ही तय कर दिया जाता तो गवमेन्ट का सर्फा भी अधिक नहीं होता। अतः इस प्रकार का हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। मैंने कुछ दिनों पूर्व एक बीमा कम्पनी को चिट्ठी लिखी थी क्योंकि मेरी पोलीसी ६ साल से लेप्स हो चुकी थी। उस चिट्ठी का जवाब मेरे पास तीसरे ही दिन आगया। मैंने एक आदमी से यह बात कही तो वह कहने लगा कि यह तो बिजनेस की बात है, यदि बिजनेस वाले इस तरह से ठीक समय पर जबाब न दें तो उनका बिजनेस ही नहीं चल सकता। जिस तरह से बिजनेस वाले यह समझते हैं कि ठीक समय पर जबाब न देने से उनके बिजनेस में नुकसान होगा, पब्लिक विश्वास नहीं करेगी तो उसी प्रकार हमारी गवर्नमेन्ट को भी सोचना और समझना चाहिये कि समय पर वह लोगों को जवाब तो दे दिया करें ताकि लोगों को तसल्ली तो हो जाय कि सरकार कुछ न कुछ कर रही है।

अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे मित्र काफी कह चुके हैं। अब मैं आपके सामने अमेन्डमेन्ट पेश करता हूं और यह आशा करके पेश कर रहा हूं (ऊपर पेश किया जा चुका) कि दूसरे मित्र भी इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करें। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे लिए कोई चारा नहीं; सिवाय इसके कि मैं इसको वापिस लेकर थेन्क्स के प्रस्ताव को ओपोज करूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:--अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के दो प्रमुख सदस्यों ने बड़ी तेजी से दलीलें पेश करते हुए सरकार और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इल्जाम लगाकर उसके खिलाफ कोमन चीप डिवाइसेज एप्लाई किये। इसलिये में, अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल का यह कार्य प्रशंसनीय नहीं समझता। बात यह है कि जो विरोधी बेंचों पर बठते हैं उनका यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी न किसी प्रकार झूठी सच्ची गवर्नमेंट की आलोचना करके जितना ज्यादा विरोध कर सकें, जितनी ज्यादा डिस्क्रेडिट कर सकें, करें। उसमें वे अपनी कामयाबी समझते हैं। वे केवल इसी बात में अपनी कामयाबी समझते हैं कि वे गवर्नमेंट का डिसक्रेडिट करें। इसी को अपनी कसोटी मानते हुए वे चलते हैं। उन्होंने हर बात में नुक्ता-चीनी करने का पेशा अख्त्यार कर रखा है। नुक्ता-चीनी करने को उनकी मेंटेलिटी हो जाती है। उनका दिमाग इसी प्रकार के काम करने की प्रणाली बन जाता है।

सब से पहले विरोधी दल के उपनेता ने भाषण देते हुए, चुनाव का जिक्र करते हुए, सरकारी कर्मचारियों पर छींटाकसी की है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि उनके भाषण में वेग एलीगेशन्स, जनरल इन्सिन्युएशन के सिवाय और कुछ नहीं था। इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छे वकील होने के नाते उन्होंने चुनाव संबन्धी बातें यहां कही, चुनाव के कानूनों का विरोध किया, राजकर्मचारियों से अनुचित तरीके काम में लिये गये। एक दल विशेष को कामयाब करने के लिए इलेक्शन रूल्स के खिलाफ कार्यवाहियें की गई तो आपको चाहिये था कि इसके लिए आप कोर्ट्स ऑफ दी स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्युनल्स आदि जो मौजूद हैं उन कोर्टस ऑफ लॉ में उन्हें पेश करते; ऐसा करने वालों पर आप मुकद्दमा चलाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कैसे करते, जबतक कि इसके लिए उनके पास स्ट्रोंग इन्स्टान्सेज जो होनी चाहिये थीं, नहीं थी।

एक सदस्य:--माननीय सदस्य क्या राजप्रमुख के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या अमेन्डमेन्ट पर बोल रहे हैं?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:--मैं तो धन्यवाद के प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं और साथ में कुछ स्पीचेज का जवाब भी दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा था और चेलेन्ज करता हूं कि यदि वाकई में कोई ऐसी बात हुई होती कि सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव के कानून का दुरुपयोग किया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक विरोधी दल के किसी भी सदस्य ने किसी एक भी कर्मचारी के खिलाफ जुडिशियरी में केस दायर क्यों नहीं किया? कर भी कैसे सकते थे, जबतक कि इस विषय में उनके पास ठोस प्रमाण नहीं थे। जब कि उनके पास प्रूफ नहीं तो वे आज तक इस ओर कैसे कदम उठाते? उनके लिय जब कि कॉमन लॉ कोर्ट्स, इलेक्शन ट्रिब्युनल्स मौजूद हैं।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-What I am asking is with regard to the political aspect of the elections and not the Judicial aspect. We are not here to anticipate the decisions of the election tribunals.

Shri Kishan Lal Shah:—On a point of order, Sir. The point raised by my Hon'ble friend goes too far. The political aspect of the elections depends on the decision of the judicial question. Therefore these cannot be separated. Hence I submit that whatever was stated by Shri B. N. Joshi was just relevant and correct.

Shri Gopi Lal Yadav:—Let a tribunal of the House be appointed and we are prepared to substantiate it.

Speaker:—Order, Order. Don't interrupt.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:—इस बारे में आपत्ति उठायी गई है उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राजकर्मचारियों के खिलाफ, सरकारी साधनों का दुरुपयोग करने के खिलाफ, सरकारी मंत्रियों के खिलाफ कोई भी एक्शन इलेक्शन रूल्स के मुआफिक किसी सज्जन ने आज तक कार्यवाही नहीं की क्योंकि कुछ करने में वे समर्थ नहीं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ आरोप लगाये गये हैं वे तथ्यहीन हैं, आरोप हैं सिर्फ सरकार को डिसकरेज करने के लिये। आपके पास सबूत होते, आपके पास प्रमाण होते तो आप कभी भी इस विषय में नहीं चूकते। इस तरह की बातें करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने के अलावा आपके भाषण में तथ्य की कोई बात नहीं थी।

इसके बाद वे प्रीवेन्टिव डिटेन्शन ऑर्डीनेन्स की बात कहते हैं। उसके लिए कहा गया कि सरकार इसको लागू करके नागरिक आजादी का अपहरण कर रही है। इस तरह से राजनैतिक मन्तव्य को काम में लाकर के विरोधी सदस्यों को दबाने की चेष्टा की जा रही है। मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूं कि इस बात के बारे में राजस्थान का सवाल नहीं। हिन्दुस्तान के हर सूबे में आज जो देश की परिस्थितियां है उनमें प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऑर्डिनेन्स पास कर इसके अन्तर्गत अधिकारों का उपयोग देश की सुरक्षा और शान्ति के लिए किया जा रहा है। नागरिक स्वतंत्रता एक बहुत अच्छी चीज है। इंगलेन्ड, फ्रान्स, अमेरिका आदि, जो आज की दुनियां में सब से बड़े प्रगतिशील प्रजातंत्रीय देश हैं, और जहां पर जितनी नागरिक स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय विधान के अन्तर्गत भारत के नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन इस विषय में एक बात याद रखनी पड़ेगी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की शान्ति के लिये, राष्ट्र की शान्ति व सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की अपेक्षा, अधिक

महत्वपूर्ण है, सर्वोपरी है; उसको दरगुजर नहीं किया जा सकता। इस ऑर्डीनेन्स का उपयोग देश की सुरक्षा और शान्ति को बचाये रखने के लिये किया जायगा। हर कोई जनता की सरकार इस काम को करने की अपनी रेस्पोंसिबिलिटी समझती है। आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि डेढ़ करोड़ के इस प्रान्त में इस विशेष ऑर्डीनेन्स की तहत ज्यादा से ज्यादा ८,१० या १२ केसेज पर इसे एप्लाई किया है। इसके विषय में काफी सतर्कता बरती गई है। उन अधिकारों का उपयोग, हर बात की छानबीन करके, पूरी जानकारी करने के बाद, किया गया है। डेढ़ करोड़ की आबादी में केवल १०,१२ इन्स्टान्सेज ही सामने आई है।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:–Mr. Speaker, Sir. I think the Honourable Member is speaking without knowing the fact.

एक सदस्य:–I think there are far too numerous cases.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:–There may be 17 to 18.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:--There are more than 60.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:–In a province of 36 lacs of people this number is absolutely negligible.

श्री अध्यक्ष:--Continue.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:–इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स का उपयोग बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत रेयर केसेज में किया गया है। दो चार व्यक्ति जो ऐसे केसेज में आये थे उनको छोड़ दिया गया, उनको निर्दोष साबित करके तो नहीं छोड़ा गया। एक वकील होने के नाते वे तो ऐसा नहीं कह सकते। हाई कोर्ट ने डिटेन्शन ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत, जिनके खिलाफ सफीशियेन्ट प्रूफ नहीं थे रिलीज कर दिया। इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें निर्दोष कह दिया जाय। ऐसी गलती एक अच्छे वकील करें यह हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया अतः उनको दोषी नहीं ठहराने का सवाल ही नहीं उठता। हाई कोर्ट ने तो सिर्फ यह देखा था कि जिन सरकम्सटान्सेज में प्रमाण उनके खिलाफ उनको डिटेन करने के लिए थे, वे काफी वजूहात पर आधारित नहीं थे। उनको निर्दोष ठहराने की बात कहना असलियत से दूर है, गलत है।

एक बात अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कही कि मंत्रियों ने जो सवालों के उत्तर दिये वे उत्तर जिम्मेवारी से नहीं दिये। सरकार यदि जिम्मेवारी महसूस नहीं करेगी तो काम कैसे चलेगा? इसके पहले मैं यह बताना

चाहूंगा कि इस हाउस में गुजिश्ता इन दो दिनों में माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे, उसके लिए में चेलेन्ज करता हूं कि उनमें से ९० फी सदी प्रश्न एबसोल्यूटली इररेलेवंट (irrelevant) थे। इस पर भी उन इररेलेवेंट प्रश्नों के सप्लीमेन्टरी प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्रियों ने दिया।........

Shri Indra Nath Modi.:—Mr. Speaker, Sir. I think all those questions were admitted. My Hon'ble friend has got no authority to question the proceedings in the House, particularly when they were admitted.

Shri B. N. Joshi:—That was due to the leniency of the House.

Shri Indra Nath Modi:—No opinion can be expressed after the questions were admitted.

Shri B. N. Joshi:—I am making a general statement.

तो मैं यह कहूंगा कि वे प्रश्न जो सप्लीमेन्टरी नेचर के नहीं थे फिर भी उनके हर एक प्रश्न का जवाब विरोधी दल के सदस्यों को दिया। इस पर भी मैं यह नहीं समझ सका कि वे ऐसी बातें क्यों कहते हैं ? मैं यह कहूंगा कि हर एक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह सदन या अध्यक्ष के प्रति अपनी जिम्मेवारी को महसूस करे और सम्मान प्रकट करे। मैं यह भी कहूंगा कि अगर वे रूल्स आफ डिबेट्स एन्ड क्वेश्चन्स को पढ़ते और समझते कि कौनसे मंत्री को कौनसा प्रश्न पूछा जाए......

श्री अध्यक्ष--Hon'ble Member will speak on the Rajpramukh's Address.

(Cheers)

श्री बी. एन. जोशी:—Sir, I am speaking. राजप्रमुख के भाषणके ऊपर बहस के दौरान में विरोधी दल के उपनेता ने दशहरे का जिक्र किया—........ Since he had taken this objection I regarded it my duty to reply. Now I pass on to the other item.

एक बात आपने कही वह यह थी कि दशहरे का त्यौहार जनता को बहुत ज्यादा....

श्री अध्यक्ष—आप राजप्रमुख के भाषण पर ही बोलें।

श्री बी. एन. जोशी:—मैं आपके आदेश का बिल्कुल पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष:—मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। तमाम सदस्यों के सामने। विरोधी पक्ष की ओर से या इस तरफ से, शायद विधान की जानकारी न रखने के

कारण या मिथ्या संदेह के कारण कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जो राजप्रमुख के भाषण में नहीं थीं। विधान यह कहता है कि राजप्रमुख के भाषण पर जो जो डिबेट हो वह केवल उसी हद तक सीमित हो। उसके अलावा जो बातें कही गईं वे किसी भी प्रकार से रिलेवेन्ट नहीं थीं। यदि कोई बात कही गई तो सदस्य के नाते उसका जबाब, हाउस के नेता, जब समय आवेगा, देंगे। अतः, मैं आगे जो बोलने वाले हैं, उनका ध्यान नियम १२ की तरफ और भारत के संविधान के अनुच्छेद १७६ की ओर दिलाना चाहता हूं। उनको अपने भाषण उसी दायरे में सीमित रखने चाहिये जिसका जिक्र राजप्रमुख ने अपने भाषण में किया हो। जो कोई उसके खिलाफ बोलता है तो बिल्कुल इर्रिलेवेंट है। यह बात ठीक है कि कुछ बोलने में विरोधी दल के सदस्यों को लीनिएन्सी दी गई, वह इसलिये कि उनको यह विरोध न हो कि उनके प्रिविलेजों पर एटेक किया गया। बहुत सी बातें उन्होंने कहीं जिनका राजप्रमुख के भाषण से कोई ताल्लुक नहीं था।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि राजप्रमुख के भाषण पर ही बोला जाए। मगर चूंकि कुछ विषयों पर चर्चा हो चुकी है और जब दूसरे लोग उसका उत्तर दे रहे हैं तो जो समय सदन का लगेगा वह सदन के नेता का बच जाएगा।

श्री इन्द्रनाथ मोदी:-(खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष:—No more discussion.

श्री इन्द्रनाथ मोदी:—All right, Sir. Although I had a very relevant point to speak........

श्री अध्यक्ष:-You can utilize it on some other occasion.

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री. बी. एन. जोशी:—मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझ से पहले बोलने वाले विरोधी दल के सदस्यों को अधिक समय मिला है। उनका विरोध करने के लिये मुझे कम से कम आधा घन्टा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष:—केवल तीन मिनट।

श्री बी. एन. जोशी:—फाइनेन्स के बारे में यह कहा गया कि राजस्थान की सोचनीय दशा है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि आपको यह सोचना चाहिये कि कितनी रियासतों का इन्टीग्रेशन हुआ, कितने अफसरों के तबादले हुए। इसके अलावा सब जगह का वेतन एक स्केल पर किया गया। कहीं पहले किसी तहसीलदार को ५०) या ६०) रुपये मिलते थे तो अब उसे १७५) रुपये मिलते

हैं। इस प्रकार उनकी तनख्वाहें बढ गईं और उनकी तनख्वाहें बढ़ने से राजस्थान के खर्चे पर अनावश्यक बोझा पडा । राजस्थान के एकीकरण के पहले रेलवे की आमदनी काफी थी, मगर भारतीय विधान के अनुसार राजस्थान के एकीकरण के बाद उसका भी काफी घाटा रहा। जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ और जयपुर की रेलवे की काफी आमदनी थी जो भारत सरकार के पास चली गई। इसके अलावा साल्ट आदि की आमदनी में भी कमी आगई । मैं यह कहूंगा कि आज प्रान्त की जो भी आर्थिक दशा है उसके लिये विरोधी दल ही बहुत अंश तक जिम्मेवार है।

जब कभी ट्रेज़री बेंचेज की तरफ से टैक्स व रेवेन्यू बढ़ाने का सवाल सदन में आता है त्योंहो विरोधी दल के सदस्य फौरन उसका विरोध करते हैं । मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने कदम कदम पर टैक्सों का विरोध किया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इससे सरकार की आमदनी कम होगई और खर्च बढ़ गया। आप सरकार से स्कूल खोलने व दूसरे कामों के लिये मांगें करते हैं मगर जब कभी टैक्सों की बात आती है तो विरोध करते हैं। मैं यह कहूंगा कि आप सरकार से ज्यादा से ज्यादा लेना और सरकार को कम से कम देना चाहते हैं, यह व्यवहारिक बात नहीं और न यह समझदारी की बात है।

यह कहा गया कि राजप्रमुख के भाषण में जनता की गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये आश्वासन नहीं दिया गया। मैं यह कहूंगा कि आप ही गरीबों को गरीबी का बढ़ावा देते हैं। आप ही ९० प्रतिशत किसानों से बेट बेगार लेते हैं और जागीरदारी को खत्म करने के लिये जब कदम उठाया तो आप अदालतों में जाते हैं। आज फिर आप यह कहते हैं कि गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति है । आप अदालतों में अपीलें करके जागीरी प्रथा को, गरीबों की गरीबी को मिटाने वाली है, उल्टा मिटाने नहीं देते। आपकी यह सहानुभूति जनता के लिये सिम्पली........

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)।

श्री बी. एन. जोशी:—अतः मैं यही कह कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं कि राजप्रमुख ने अपने भाषण में जो सरकारी नीति का वर्णन किया है वह बिल्कुल ठीक है और धन्यवाद का प्रस्ताव जो मेरे माननीय मित्र ने रखा है उसको पास किया जाए।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—माननीय अध्यक्ष महोदय! मुझे यह पहला अवसर मिला है आप लोगों से मिलने का और अपनी दो बातें कहने का। इस मौके पर मैं मेरे सभी सहयोगियों को आपके जरिये greetings देना चाहता हूं और साथ ही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं एक विशेष दृष्टिकोण का प्रतिनिधि हूं। ऐसी सूरत में यदि मैं कुछ समय ज्यादा ले लूं तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि House के सामने वह दृष्टिकोण भी आना चाहिए और इससे मदद ही मिलेगी, ऐसी मेरी धारणा है।

श्री राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद देने के लिए हमसे रजामन्दी मांगी जा रही है, लेकिन परसों जब हम भाषण सुन रहे थे और उसमें जिन स्थापनाओं को किया गया है उन पर २ दिनों में हमने गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके आधार पर धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय। मैं अन्न, खाद्यान्नों के बारे में बोलना चाहूंगा। श्री राजप्रमुख के भाषण के अनुसार और इसीलिये राजस्थान सरकार के अनुसार कोई विशेष चिन्ता का विषय यहां नहीं है, प्रान्त के अन्न की हालत के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं है, कीमतें बढ नहीं रही है बल्कि नीचे के धरातल की ओर आ रही है, टिड्डी का खतरा जो बहुत भयानक रूप से आ रहा है, वह राजप्रमुख के भाषण के अनुसार और इसीलिए राजस्थान सरकार के अनुसार, काबू में पाने के लिए यथाशक्ति जो कुछ किया जाना चाहिए था वह किया जा रहा है। उनको संतोष है परिस्थिति पर। परन्तु वास्तविकता यह है कि जिस इलाके में अनाज की कीमतें बहुत कम रहती थी; पिछले अधिवेशन के समय १६) या १८) रुपये मन गेहूं की कीमत थी वहां राजस्थान में २६ या २८) रुपये और ३२) रुपये मन की कीमतें होगई हैं। फिर भी यह चिन्ता का विषय नहीं है! भीलवाडा में बहुत गेहूं होते हैं पर वहां पर कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वहां फिर से राशन की दुकानें चालू कराने के लिए प्रदर्शन तक हुए हैं; परन्तु फिर भी अन्न समस्या कोई चिन्ता का विषय नहीं है!

कई जगह अत्यधिक वर्षा हुई, कई जगह वर्षा नहीं हुई, कहीं अति वृष्टि के कारण बहुत बड़े इलाकों में फसल बर्बाद होगई है; इसके बाद टिड्डी आने से भयंकर नुकसान हुआ है, खेत के खेत उजड़ गए हैं, जहां चार आना फसल की उम्मीद थी वहां दो आना भी नहीं हो रहा है। बीकानेर की तरफ के जो सदस्य यहां बैठे हैं वे दौरा करके देखें कि किसानों को टिड्डी के कारण दाना भी नहीं मिल रहा है; फिर भी श्री राजप्रमुख के भाषण के अनुसार और इसीलिये राजस्थान सरकार के अनुसार अन्न की स्थिति संतोषजनक है!

मेरी आदत, स्पष्ट वक्ता होने के नाते, कटु बातें कहने की है। जिस प्रान्त में लोग आज घास खा रहे हैं, कांटी का घास होता है, मैंने आंखों देखा है, उसको कूट कर एक सेर दो सेर दाने को सैकड़ों परिवार खा रहे हैं, न सिर्फ एक इलाके में बल्कि चूरू से लेकर मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तक के इलाकों में घास खाने को नौबत पहुंच गई है—उसके बाद भी उस प्रान्त की सरकार के लिए कोई चिन्ता का विषय नहीं है! तो मेरा सभी सदस्यों से यही कहना है कि श्री राजप्रमुख के भाषण के लिए धन्यवाद का कोई कारण नहीं है। यह एक कारण है जिसकी वजह से मैं इस प्रस्ताव के विरोध में राय जाहिर करता हूं।

श्री राजप्रमुख ने शिक्षा, जन-स्वास्थ्य और स्थानीय संस्थाओं के बारे की नीति का यह जिक्र किया है कि पहले से कामयाबी होती जा रही है और आज भी

चल रही है। मैं नहीं समझ पा सका कि इस सम्बन्ध में जो राजस्थान सरकार की राय श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण द्वारा दी गई है वह सही है या Central Government के Finance Commission के सामने के बयान देते हुए जो राय उन्होंने दी है वह ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित फाइनेन्स कमीशन को पेश किया हुआ जो मेमोरेन्डम है उसमें से एक उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं जो श्री राजप्रमुख के भाषण में जिक्र की हुई उपरोक्त बात से बिल्कुल विपरीत है:—

"Inspite of the heavy taxation, the Rajasthan Government have not been able to make adequate provision for education, medical aid, local self government and development activities."

(विरोधी पक्ष की ओर से:—shame)

तो मैं किस बात को सही समझूं ? श्री राजप्रमुख के भाषण में कही गई बात सही है या Finance Commission की बात सही है कि हम कुछ भी नहीं कर पाये हैं ? तो क्या राजस्थान सरकार दो दो मुंह से बातें करती है ? मेरी राय में श्री राजप्रमुख के भाषण में जो बातें कही गई हैं वे सही नहीं हैं; Finance Commission के सामने जो बातें कहीं हैं वे सही हैं।

किसी भी बात को ले लीजिये; चाहे शिक्षा, जन स्वास्थ्य या अन्न समस्या—हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा प्रान्त दूसरे प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारने के लिये इस प्रान्त में यहां की सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि जगह २ रात्रि-कक्षाओं के लिए हड़तालें हुई हैं, एक जगह तो कालेज बिल्डिंग को P. W. D. ने खतरनाक घोषित कर दिया, फिर भी विद्यार्थियों को वहीं पढ़ना पड़ रहा है। अस्पतालों में आधी खुराक की गई और अब तो मरीजों से फीस लेने की स्कीम बनाई जा रही है।

हमारे एक सदस्य की ओर से कहा गया कि विरोधी दल की ओर से टैक्सों का विरोध किया जा रहा है। खुद सरकार मानती है कि उसकी ७१ प्रतिशत आमदनी टैक्सों से होती है । यह सरकार मानती है कि यह आमदनी सिर्फ बम्बई प्रान्त से १ प्रतिशत कम है । बम्बई में ७२ प्रतिशत आमदनी करों से होती है । बम्बई को छोड़ कर दूसरे सभी प्रान्तों से यहां कर अधिक लगे हुए हैं। तब फिर आप किस आधार पर व किस बुनियाद पर यह टैक्स लगाने जा रहे हैं ? पहले आप इसकी जांच कीजिये कि लोग इस स्थिति में हैं या नहीं कि वे टैक्स का भार सहन कर सकें। हम पर टैक्सों का बोझ इतना भारी है और यह बड़े ताज्जुब की बात है कि फिर भी आप कहते हैं कि विरोध क्यों किया जाता है ।

यह कहना कि शिक्षा, चिकित्सा, स्थानीय स्व-शासन आदि में हमने काफी प्रगति की है, उपयुक्त नहीं है । मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । मजदूरों के बारे

में जो नीति अपनाई गई है वह भी किसी काम की नहीं है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े एम्पलोयमेन्ट एक्सचेन्ज खोले गये हैं और फौज से आने वालों के रीसेटलमेन्ट के बारे में कहा गया है उनमें से एक भी बात तथ्य और बुनियाद की नहीं है । मैं खास तौर से एक बात पर एतराज करना चाहता हूं । राजप्रमुख महोदय ने अपने भाषण में लोगों की और किसानों की आर्थिक हालत सुधारने की बात का कहीं जिक्र तक नहीं किया है । जागीर खत्म करने में क्या कठिनाइयें आ रही हैं; इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? सैकड़ों और हजारों किसान अपनी भूमि से बेदखल किये जा रहे हैं, उनको उनकी जमीन वापिस दिलाने के सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है ? इसका जबाब पूछने का अधिकार मुझे है । चूंकि इन बातों का जिक्र तक नहीं किया गया है इसलिये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं विरोध कर रहा हूं ।

Shri B. N. Joshi:—The case is sub-judice.

श्री हरिकृष्ण व्यासः--सर्विसेज के इन्टीग्रेशन के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में इस बात की वाह–वाही ली गई है कि हमने सर्विसेज के बारे में सहानुभूति का व्यवहार किया है । मुझे बड़ा ताज्जुब होता है यह सुनकर । मैं नहीं कह सकता यदि चन्द ऊंचे वेतन वालों के व कुछ खास व्यक्तियों के साथ आपने सहानुभूति का व्यवहार किया हो । मैं कह रहा हूं छोटे लोगों की बात । आज भी ६५०० से अधिक मुलाजिमों को नौकरी से अलग करने की कोशिश सरकार कर रही है । उनके साथ क्या यह सहानुभूति का व्यवहार किया जा रहा है ? बिजलीघर के मुलाजिमों के १८ महीने पहले ग्रेड बढ़ाये गये थे लेकिन उन मुलाजिमों की अब तक तनख्वाहों में वे शामिल नहीं हो पाये; अब तक अकाउन्ट् विभाग में जांच हो रही है । कम्पाउन्डर्स व नर्सेज जिनको भूतपूर्व मंत्री मंडल ने आश्वासन दिये थे वे क्यों नहीं पूरे किये जाते? जब ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके साथ सख्त कार्यवाही की जाती है और बड़ा भारी तूफान खड़ा किया जाता है । क्या यह उनकी जिम्मेवारी नहीं है? जो हकूमत चला रहे हैं वे वाजिब काम नहीं करना चाहते ? जब सेक्रेटेरियेट के मुलाजिम अपना रोना रोने के लिये चीफ मिनिस्टर साहब के मकान जाते हैं तो उनके साथ यह सहानुभूति का व्यवहार किया जाता है कि मुख्य मंत्रीजी के घरसे उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और चपरासियों द्वारा धक्के लगवाये जाते हैं । आप कहेंगे कि हम लॉ एंड आर्डर के खिलाफ कार्यवाही को बर्दास्त नहीं करेंगे । मैं जानता हूं कि आप यह कहेंगे कि डिसिप्लिन मेंन्टेन करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि उनको यह रास्ता किसने दिखाया है । उन्हें अपनी आवाज सुनाने के लिये लोक प्रिय कहे जाने वाले मंत्रियों के पास जाने का अधिकार है । आप उनके साथ मनमानी करें और वे आवाज न उठावें, यह कैसी बात है ! आपने सीनियरों को जूनियर बना दिया है और जूनियरों को सीनियर बना दिया है और उन्हें हर तरह की तकलीफ आप दे रहे है इससे कोई

इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि राजस्थान में सर्विसेज के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है ! इसलिये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि धन्यवाद के इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिये ।

मैं एक दो बातों का और जिक्र करना चाहता हूं । चंबल योजना के बारे में जो कुछ कहा गया है उस पर मुझे खुद को खुशी हो रही है । कम से कम आज तक भारत सरकार द्वारा राजस्थान के साथ जो सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा था उसे रोकने की शुरुआत तो हुई है । मैं इससे खुश हूं कि चंबल योजना को मंजूर करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है । लेकिन साथ ही साथ में इस बात को नहीं भुला सकता कि एक ओर इस विशाल योजना को मंजूर करवाने की दौड़ धूप चल रही थी तो दूसरी ओर यह हो रहा था कि चार साल के अकाल के बाद जब इस साल वर्षा हुई और बांधों में पानी आने लगा तो सरकारी अफसरों की लापरवाही के कारण बंध टूटने लगे । पाली के पास हेमावास का बंध टूटा, पिचयाग का बंध टूटा और डूंगरपूर के दो बंध टूटे ; पर कोई इन्तजाम उनके बारे में नहीं किया गया । मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं और मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इस बात की जांच करावें कि हेमावास का बंधा टूटा है उससे ४ दिन पहले वहां से एक तार आया था कि बंधे में दरार पड़ गई है, उसका फौरन इन्तजाम किया जाय । लेकिन रेड टेपिज्म (Red tapism) के कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । चंबल योजना को तरफ तो दौड़ धूप की जाती है पर जो चीज आज हमारे पास मौजूद है और पुराने जमाने से है क्या उनकी हमें हिफाजत नहीं करनी चाहिये ? इन बंधों के टूटने से कितना नुकसान हुआ है यह सोचने की बात है । ५ हजार एकड़ सिंचाई की जमीन को इन टूटने वाले बंधो में से एक अकेले हेमावास ने बेकार कर दिया है ।

राजप्रमुख के भाषण में आपसी सद्भावना, सहानुभूति और एक दूसरे को समझकर चलने का जो जिक्र किया गया है उसे देख कर मुझे ताज्जुब होता है और मैं नहीं समझ सका कि इस जिक्र का तात्पर्य क्या है । मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि आज सद्भावना और सहिष्णुता की बात क्या हमारे और आपके आपसी व्यवहार के लिये की जाती है ? हुकूमत चलाने वालों में जिन पर हुकूमत चलाई जाती है उनकी आपस में सद्भावना रहनी चाहिये ।

यह दोस्ताने का सवाल नहीं है । यह हकूमत करने वाले और जिन पर हकूमत की जाती है उस प्रजा के बीच का सवाल है । राह में भटकने वालों का सवाल यह है कि आम प्रजा के साथ हुकूमत सहिष्णुता का बर्ताव करे । परन्तु छोटे २ मामलों पर लाठी चार्ज किये जारहे हैं, गोलियां दागी जा रही हैं । पिछले तीन महीनों के अन्दर दो जगह गोलियां चलाई गई । एक तो किशनगढ़ में

और दूसरी जोधपुर में । मैं पूरी तफसील जानबूझ कर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरी बातें रख सकूं । एक बात जरूर कहूंगा कि एक बार तो प्रदर्शन पर गोली चलाई गई और दूसरी बार किशनगढ़ के मेले के समय। (शेम शेम, विरोधी दल की ओर से) जो गवर्नमेन्ट यह कहे कि लॉ एन्ड आर्डर को तोड़ा जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मैं उस गवर्नमेन्ट से पूछना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी के लिए किसी हाईकोर्ट के जज को नियुक्त किया गया ? मैं चेलेन्ज करता हूं कि वास्तविक स्थिति की जांच हो– यदि वास्तविक स्थिति की जांच हुई तो यही साबित होगा कि गोली चलाने वाले ही कसूरवार थे । (विरोधी दल की ओर से–करतल–ध्वनि) सारी दुनिया में यह कहीं नहीं है कि हुकूमत ही हुक्म दे और हुकूमत हीं उसका फैसला कर दे । मै इस प्रकार के फैसले को गलत मानता हूं । यह फैसला तो ज्युडिशियरी का होना चाहिये न कि एग्जिक्युटिव का । यही सहिष्णुता होनी चाहिए थी सरकार की ओरसे । उस सहिष्णुता को भंग करने की जिम्मेवारी हुकूमत को चलाने वाले, हकूमत करने वाले और उनके पक्ष के लोगों की है । (श्री अध्यक्ष ने घंटी बजाई)

मैं दो तीन मिनिट में ही इसे खत्म कर दूंगा ।

हम ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाने पर किस प्रकार राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद दिया जाय, क्यों और किस लिए, जब कि एक ओर खाने के लाले पड रहे हैं और काल का भय बढ रहा है ? खाद्य मंत्रीजी ने पहले आंकडे निकाले थे । उनमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास ३३ लाख मन अनाज है । अब वे २१ लाख मन पर पहुंच गये हैं । केवल दो महीने का ही अनाज आपके पास है । इधर वर्षा खराब हो गई है । फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है । मैं ऐसी स्थिति में धन्यवाद के प्रस्ताव को सहमति नहीं दे सकता ।

आम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है; उन बहुतसी बातो का जिक्र आगे किया जावेगा ।मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं केवल पब्लिक सेफ्टी एक्ट का । मैं भाषण की उस स्थापना की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें कहा गया है कि लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हमें कई दशकों तक प्रयत्न करना पड़ेगा । दशक करते करते कई वर्ष बीत जावेंगे और सम्भव है सेन्चुरीज भी बीत जांयं । इन समस्याओं को उनके पहले लेना तो कहीं दूर रहा किन्तु लिया जा रहा है लॉ एन्ड ओर्डर और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को । सरकारी मुलाजिमों को उनका हक न दिया जाय और हड़तालों के हकों को छीना जा रहा है । प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है । लाठी चार्ज कर, डंडे दिखा कर और पुलिस की गोलियों और बन्दूकों से हम पर शासन चलाया जा रहा है । फिर कैसे समर्थन किया जाय इस प्रस्ताव का ।

मेरी प्रर्थना है कि सारा हाउस प्रस्ताव के विरोध में अपनी राय व्यक्त करें और यही मेरी राय है इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में ।

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मानसिंह:--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो वाद-विवाद का विषय है वह है राजप्रमुख का अभिभाषण। आज मुझे दु:ख केवल इस बात का है कि हमारी तरफ से राजप्रमुख के अभिभाषण के विरोध में जो कुछ कहा गया है उसके डिफेन्स में अब तक हमारे साथियों ने बहुत कम कहा है और जो कुछ कहा गया है वह ऐसा ऊट-पटांग सा था कि उससे उसका डिफेन्स न होकर उल्टा विरोध जाहिर हो रहा था। आज उस पक्ष से केवल एक महानुभाव ही बोले हैं और उनके बोलने से वे राजप्रमुख के भाषण को पुष्ट करने के बदले, मुझे ऐसा लग रहा था कि वे राजप्रमुख नाम से ही चिड़चिड़ा रहे थे। इसलिए कहने के लिए उस पक्ष के विरोध में जो कुछ कहा गया है वैसा मसाला तो मेरे पास नहीं है फिर भी मैं यह समझता हूं कि राजप्रमुख का जो भाषण होता है वह सरकार की आवाज होती है । अत: मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि यह सरकार क्या चिड़िया है।

सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछले अधिवेशन में हमारे मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन किया गया था कि तोप बन्द न की जाय । लेकिन फिर भी उनको बधाई का पात्र कहूंगा कि तोप के बदले भोंपू चालू किया। भोंपू चालू करने के बावजूद भी मुझे जनता में ये बातें अब भी सुनने को मिलती हैं और जिन्हें इस सदन के सामने रखते हुए मुझे दु:ख होता है । तीन चार बार भोंपू बजता है और वह भी ठीक समय पर नहीं बजता है । उन लोगों से यह कहते हुए सुना है कि यह भोंपू सरकार का भोंपू बज रहा है। जब मैंने यह सुना तो, माफ करिये, मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने कुछ लोगों से कहा कि ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए।

श्री बी. एन. जोशी:--On a point of order, Sir. How is it related to the Hon'ble Rajpramukh's address?

श्री मानसिंह:--माननीय अध्यक्ष, इन्हें कहिये कि ये······

श्री बी. एन. जोशी:--I am addressing the Chair........

श्री मानसिंह:--Mr. Dy. Speaker Sir, ask him to keep quiet.

श्री बी. एन. जोशी:--Mr. Dy. Speaker, Sir, are you allowing him to dictate you?

श्री टीकाराम पालीवाल:--उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्यजनक बात है कि एक सदस्य अध्यक्ष को आदेश दें। "भोंदू या भोंपू" जैसे शब्द कहे जांय ? यह पार्लियामेन्टरी पद्धति के नियमों के विरुद्ध है।

× × × × ×

श्री मानसिंह:—जब उन लोगों को मैंने कहा कि इस तरह के शब्द "भोंदू सरकार का भोंपू" बजा तो वे बोले कि भोंदू के अलावा क्या कहा जाय। एक नहीं तीन तीन बार बोलता है और वह भी ठीक समय पर नहीं। इस सम्बन्ध में कई बार कहा गया किन्तु फिर भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती तो उस सरकार को भोंदू सरकार न कहें तो क्या अवलबन्द सरकार कहें? अत: मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आज से ही सही समय पर इसे बजवाने की व्यवस्था करें। मेरा यही पहला सवाल है।

उपाध्यक्षजी, राजप्रमुख के अभिभाषण में जो लॉ एन्ड ऑर्डर की बातें कही गई हैं उस सम्बन्ध में कहना तो बहुत चाहता था किन्तु ज्यादा न कह कर सूक्ष्म रूप में हीं कहूंगा क्योंकि मेरे कई साथियों ने उस पर काफी बातें कहदी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले अधिवेशन में बताया था कि जो चोरियें या जो डकैतियें होती हैं वे पुलिस की वजह से होती हैं। यदि पुलिस सतर्क हो तो चोरियें और डकैतियें होने की कोई वजह नहीं। अब की बार पुलिस वालों ने सतर्कता से काम लिया है और पुलिस के जो आई० जी० पी० आये हैं वे भी योग्य मालूम होते हैं? चोरियों और डकैतियां में कमी हुई है। इस सतर्कता के लिए हमारा जो पुलिस का इन्तजाम है वह बधाई का पात्र है। यह कह देना कि विरोधी दल के सदस्यों को जेल में ठूंस दिया गया, अत: चोरियां कम होगई है, यह बिल्कुल गलत है और ऐसे पचड़े को हाऊस से निकाल देना चाहिये और फाड़ कर फेंक देना चाहिये।

मैं आपको कुछ प्रत्यक्ष की बातें बताना चाहता हूं कि नजरबन्दी कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है और किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश मैं मुख्य मंत्री से मिलने चला गया। (मुख्य मंत्रीजी के आसन की ओर देख कर) दुर्भाग्य से वे इस समय यहां पर नहीं हैं, अन्यथा वे इसकी ताइद करते। वे कहते हैं कि मानसिंहजी आपकी कोन्स्टिटयुएन्सी में डकैती होगई है और लोग कहते हैं कि उसमें आपका भी हाथ है। मैंने उन्हें कहा कि जब लोग कहते हैं तो मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया जाता? वे कहते हैं कि इस सम्बन्ध में मैं इन्क्वायरी करवा रहा हूं। आपने यह भी कहा बताया कि जयपुर में जोधपुर वाली करके बताएंगें। मैं कहना चाहता हूं कि जोधपुरवाली का डिक्शनेरी में क्या मीनिंग होता है, जरा बताया तो जाय? इस तरह सिक्योरिटी एक्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि विरोधी दल वालों को एक नहीं सारे के सारों को यदि नजरबन्द भी कर लिया जाय तो वे डरने वाले नहीं है। जो कुछ आपने किया है वह ऐसी गलत चीज की है कि इससे सरकारी पक्ष को जरूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

यह नहीं होसकता कि इस तरह से सरकारी पक्ष प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश करे। इस तरह की बातें जनतंत्र के युग में बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैं सरकारी पक्ष वालों से यह कह देना चाहता हूं कि यदि वे इस प्रकार की कार्यवाहियां करेंगे तो भारतवर्ष में बहुत ही जल्दी ऐसा तूफान आयेगा जिसमें उनको हमसे चौगुना खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

पब्लिक सेफ्टी के बारे में एक पाइन्ट नोट करके लाया हूं; उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी चन्द रोज हुए शंकरिया डाकू बीकानेर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। वह शंकरिया जेल में था। मैंने यह देखा कि शंकरिया जेल के सीकचें काटकर, के जेल को तोड़ करके, अपने साथियों के साथ भाग गया और १२ घंटे बाद गिरफ्तार किया गया। जेल के सीकचे काट कर जब वह बाहर हुआ तो उसके तीन चार घंटे पहले इस सदन के एक सदस्य उसके साथियों में से किसी से मिलने गये थे। पुलिस को इस बात का शुबहा है कि उन आदमियों को लोहा काटने के लिए रेती वगैरह उन्होंने ही दी है। हम लोगों को तो यह कहा जाता है कि आपकी जोधपुर वाली हालत करदी जायगी लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने जेल से डाकुओं को भगाने के लिए लोहा काटने का आरिया दिया था उसको गिरफ्तार करके फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाता।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपकी आज्ञा से इस सदन को शिक्षा के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में आज शिक्षा का जो हाल है वह मेरे एक दोस्त ने फरमा दिया है कि ब्लेक मार्केटिंग, रिश्वतखोरी शिक्षा में नहीं थी। वह भी वर्तमान मंत्री महोदय के सत्तारूढ होते ही जारी होगई। यह अजीब बात, शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में जो नहीं सुनी वह यहां के शिक्षा विभाग में चल पड़ी है। बेरठ तहसील के दो गांव धोली और देवली हैं। इन दोनों गांवों में स्कूलों की आवश्यकता थी · · · · ·

श्री विश्वंभरनाथ जोशी:—On a point of order, Sir. Is he speaking something about the Rajpramukh's address or relating an anecdote. How is it........

श्री मानसिंह:—I am talking about an agitation, your honour I don't want to be disturbed. Sir, and request you that my time is wasted like this.

श्री उपाध्यक्ष:—Carry on.

उपाध्यक्ष महोदय, धोली गांव में स्कूल खोलने के लिए दुर्भाग्यवश मेरे सफेद पोश भाइयों ने दबाव डाला कि यहां पर स्कूल होनी चाहिये। वहां पर पहले बिड़ला ट्रस्ट का स्कूल था, वह बन्द होगया। देवली में भी ऐसा स्कूल था लेकिन देवली का स्कूल तो सेंक्शन होगया किन्तु धोली का स्कूल मन्जूर नहीं हुआ। देवली की सिफारिश करने वाले मेरे जैसे साधारण व्यक्ति थे। धोली की सिफारिश करने वाले सफेद पोश थे। जब लोगों ने यह देखा कि यह तो गजब होगया। देवली में स्कूल की सेंक्शन होजाने के बाद भी धोली में इसलिये स्कूल खोला गया उसके लिए कहा गया कि यह प्रिन्टिंग एरर थी। सरकार इस प्रिन्टिंग एरर को बदल देगी। यह जो फेक्ट रख रहा हूं वह मैं कल ही हमारे मंत्री महोदय के साथ इस विषय में जो बातचीत की थी उससे पता लगा था

कि उनका यह कहना था कि यह प्रिन्टिग एरर थी। यह तो आपकी सरकार की हालत है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रिन्टिग एरर होते होते कहीं दिमागी एरर होने लग जायगी तो गजब होजायगा।

शिक्षा के बाद में इन्टेग्रेशन आफ सर्विसेज के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। इस विषय में आज तक राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। आज सर्विसेज की ऐसी बुरी हालत है कि जिसकी कोई हद नहीं। सर्विसेज पर हमारे यहां नाजायज दबाव डाला जाता है। मैं आपको जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहां तक कह सकता हूं कि यहां न कांग्रेस का राज है और न किसी मिनिस्ट्री का। जयपुर डिवीजन में तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भूदेव और सहदेव का राज है। वही हमारे मिनिस्टरों की राय है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण में आपके सामने रखूंगा।

श्री बी. एन. जोशी:--On a point of order, Sir. He is bringing names and infringing the rules of the House. He should be checked.

श्री उपाध्यक्ष:--पर्सनल रेफरेन्स नहीं आने चाहिए।

श्री मानसिंह:--मैंने नाम किसी का नहीं लिया। मैंने तो एक रेजीम बताया कि यह कैसा रेजीम है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अफसर एक महानुभाव के साथ रात को १२ बजे चोमू इजेक्टमेन्ट का केस तय करने जाते हैं। वह केस तय करके वापिस आजाते हैं। इससे ज्यादा अन्याय क्या हो सकता है कि एक सरकारी अफसर दो पैसे के आदमी के साथ रात को १२ बजे इजेक्टमेन्ट के केस को तय करने के लिए जायें!

श्री दास गोयल:--On a point of Order, Sir. My friend has been using unparliamentary language throughout. I will pray he should be stopped from that.

श्री उपाध्यक्ष:--भाषा का प्रयोग इस तरह का किया जावे जिससे आपस में दुर्भावनायें न फैलें और अपने भावों को भी व्यक्त कर दिया जाय।

श्री मानसिंह:--उपाध्यक्ष महोदय, संयमित भाषा से काम लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि हमारी राजस्थान सरकार पर सर्विसेज के बारे में किसी का दबाव नहीं पड़ना चाहिये। इस तरह से एक अफसर एक पार्टी के व्यक्ति के साथ, दूसरे पार्टी को बगैर इत्तला दिये, फैसला देते हैं; यह न्याय नहीं। हिन्दुस्तान के क्या दुनियां के इतिहास में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा।

इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जयपुर डिवीजन में कलेक्टर से लेकर एस. डी. ओ., तहसीलदार वही आदमी है जिनको एक ही जगह काम करते हुए पांच--पांच, छ:-छ: साल होगये हैं; उनकी बदली नहीं की जा रही है।

उनको जयपुर शहर से या इसके चौतरफ के इलाके से दूर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन अफसरों ने किसी जमाने में हमारे वर्तमान मंत्री मंडल के किन्हीं व्यक्तियों को जमीनें दी थीं और रहने के लिए मकान दिये थे। ऐसे आदमियों को कैसे बदला जा सकता है? इस तरह से हमारे मुख्य मंत्री के २४ घंटे तक टेलीफोन सुनते उनको दूर कैसे किया जा सकता है? आमेर में जो नाजिम थे उनको आमेर से बदल कर जयपुर में नाजिम कर दिया गया? क्या यह सर्विसेज के साथ अन्याय नहीं? छः बरस हुए उसको बदल कर बाहर न भेजा जाकर जयपुर में ही रखा जाता है। जो केपिटल में आना चाहते हैं उनको यहां आने का मौका नहीं दिया जाता है। इस प्रकार सर्विसेज के साथ पक्षपात हो रहा है। यह बात सर्विसेज को बेइमानी की ओर उतारू करती है। हमारे मिनिस्टरों से नम्र निवेदन है कि वे इस प्रकार की मनोवृत्ति को बढावा न दें और न्यायपूर्वक चलें तथा इस पक्षपात को छोड़े।

श्री उपाध्यक्ष:—आपका समय समाप्त होगया।

श्री मानसिंह:—मेरे पांच मिनिट तो लोगों ने बीच में ले लिये इसलिये मुझे और समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष:—तीन मिनिट।

श्री मानसिंह:—अभी कुछ दिन हुए मैं एक रोज, मुझे कहना तो नहीं चाहिये फिर भी कहना पडता है कि यों ही तफरीह के लिये शाहपुरा चला गया। बरसात का मौसम था। मैं गया तो तफरीह के लिये था मगर फिर सोचा कि देखें फेमिन रिलीफ की क्या हालत है, क्या काम हो रहा है? मुझे मालूम हुआ कि पी० डब्लू० डी० की तरफ से एक ठेकेदार को शाहपुरा से मांडल की सडक का ठेका दिये ३ साल हो गये। वहां के लोग इतने परेशान होते हैं जिसकी हद नहीं। वहां पी० डब्लू० डी० की तरफ से ७ साल हुए एक पुल बनाया जाता है और यह पुल हर बार गिर जाता है।

एक सदस्य:—माननीय सदस्य राजप्रमुख के भाषण पर ही बोलें।

श्री मानसिंह:—मेरे समय का गला घोंटा जा रहा है। मैं राजप्रमुख की पोलीसी पर ही बोल रहा हूं। पुल ७ बार बनाया गया और ७ बार गिर गया। यह है पी० डब्लू० डी० विभाग वालों की एफिशिएंन्सी का नमूना। शाहपुरा से मांडल एक सड़क बन रही है। वह आगे २ बनती जा रही है और पीछे पीछे टूटती जा रही है। इसी प्रकार जयपुर से चोमू तक का १२ मील का टुकडा बना है। उसके पीछे से तीन चार पुलीयें तो टूट गये हैं। एक समय तो बरसात में मेरी भी मोटर उलटते उलटते बची। यह सड़क की बात मैंने जैसी देखी, कही है। यह हालत तो उस समय थी। अब बड़े बड़े गढ्ढे पड़े हैं; जिसमें समूचे आदमी चले जावें और गढ्ढे में धस जावें। पी० डब्लू० डी० को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट,

पहले कहा करते थे मगर उससे भी ज्यादा आज मौजूदा मंत्रियों के जमाने में उसकी हालत बिगड़ती जारही है।

फैमिन रिलीफ के बारे में मुझे यह कहना है कि पिछले साल काफी पैसा फैमिन रिलीफ पर खर्च किया गया लेकिन दुःख की बात यह है कि वह फैमीन राजस्थान के चन्द हिस्सों में पड़ कर ही रह गया। वह सीमित दायरे में ही रह गया। जहां पर जरा मानपत्र आदि दिये गये या खुशामदें की गईं वहां पर तो लाखों रूपया खर्च किया गया और जहां से मंत्रीजी को वोट मिले वहां पर भी काफी रूपया खर्च किया गया। गरीब जमवारामगढ आदि में तो, जहां पर न तो मानपत्र दिये गये और न खुशामदें की गईं, कुछ नहीं दिया गया। मैंनें जाकर इस संबन्ध में मंत्री महोदय से कहा तो उन्होंने कुछ किया। फैमीन कमिश्नर से ३–४ हजार रूपये की मंजूरी हुई। कलक्टर ने ७–८ दिन लगा दिये। बाद में तहसीलदार साहब ने एक्शन नहीं लिया। इतने में ऊपर से यह हुक्म निकल जाता है कि फैमिन रिलीफ का काम बन्द कर दिया जाय। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में फैमिन रिलीफ का काम जरूर हुआ। क्योंकि मंत्रीजी खुद डूंगरपुर से आये थे। इसके लिये मैं आपसे अपील करूंगा और उसके बाद बैठ जाऊंगा कि आप लोग अकेले डूंगरपुर के विषय में ही न सोचें। आपका दृष्टिकोण पूरे राजस्थान के लिये होना चाहिये। उन लोगों ने जिन्होंने हमको वोट दिये वे क्या आपके दुश्मन हो गये और जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिये तो क्या वे आपके मित्र हो गये? अगर यह भावना लेकर आप चलेंगे तो प्रजातन्त्र नहीं चलेगा। इसलिये मैं अपील करूंगा कि राजप्रमुख के भाषण का जो पानडा है वह एक रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक चीज है। यदि राजप्रमुख को धन्यवाद चाहिये तो वे ऐसा प्रभुत्वशाली भाषण दें और उसमें ऐसी चीजें रखें जिसमें पब्लिक का फायदा हो। यदि उनका ऐसा भाषण होगा तो हम उनके भाषण का हृदय से स्वागत करेंगे और धन्यवाद देंगे। इसलिये मैं अपने उधर बैठे हुए भाइयों से भी अपील करूंगा कि वे इसका समर्थन न करके विरोध ही करें।

श्री उपाध्यक्ष:– मैं तमाम सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि जिस समय उपाध्यक्ष चेअर में हों तो आप उपाध्यक्ष के नाम से ही संबोधित करें, न की अध्यक्ष के नाम से।

श्री कानसिंह:–यह पार्लियामेंट का नियम है कि जब अध्यक्ष की चेअर पर कोई भी हो उनको अध्यक्ष ही कहा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष:–यह जो मैंने अभी आप लोगों से कहा है पार्लियामेंट्री तरीके के आधार पर ही कहा है।

श्री संपतराम:–माननीय अध्यक्ष हमारे देश में पहली बार ही यह बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हो कर यह राजस्थान की सरकार

बनी। उसमें हमारे राजप्रमुख का भाषण पिछले अधिवेशन के आरंभ में भी हुआ और इस अधिवेशन के आरम्भ में भी हुआ; जो इस सदन के सामने उपस्थित है। पिछले अधिवेशन में श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में राज्य की नीति और जनता की सेवा करने के लिये जिन जिन बातों का जिक्र किया, मेरी तो यह मान्यता है कि पिछले अधिवेशन में जिन जिन बातों की तरफ राजप्रमुख ने इशारा किया था उसकी तरफ पिछले समय में हमारी राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया और उन्हें पूरा करने की कोशिश की। चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते आज हमारी जिम्मेदारी ओर्डिनरी ले मेन (Ordinary Layman) की हैसियत से भी ज्यादा बढ जाती है, किन्तु काम करने के तरीके सब के अलग अलग हैं। हमारे यहां बहुत से वकील और पढे-लिखे लोग मौजूद हैं मगर उनकी आलोचना इसलिये नहीं होती कि राजस्थान सरकार ने कोई भूल की है; उनकी आलोचना आलोचना के लिये ही होती है। वास्तव में आलोचना सहयोग देने व उसे आगे बढाने के लिये होनी चाहिये न कि सिर्फ सरकार को ओपोज (विरोध) करने के लिये- कोई भी व्यक्ति क्यों न हो; वे मानते हैं कि हमारे यहां खाद्य की कमी है। हमारी भारत सरकार भी चिन्तित है और उसी आधार पर राजस्थान सरकार भी चिन्तित है। उसकी लोंग टर्म व शोर्ट टर्म स्कीमें (Long term and short term schemes) हैं; वे ठीक हैं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि राजस्थान जैसा साधन संपन्न प्रान्त होते हुए भी इसकी तरक्की जिस स्केलिंग बेसिस पर होनी चाहिये, नहीं होरही है।

राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से परामर्श करके बहुत बड़े बांध की योजना बनाई है। मैं यह कहूंगा कि मेरे विरोधी दल के व्यक्तियों ने इसकी भी आलोचना की है। इस बात की आलोचना की जा सकती है कि इस योजना को कार्यान्वित किया जाय या नहीं। हम अपनी जिम्मेवारी से दूर चले जाते हैं यदि हम आलोचना नहीं करते हैं। हमें आलोचना करनी चाहिये; मगर सही और सच्चे मायने में आलोचना करनी चाहिये। मेरे माननीय मित्र, श्री गोपीलाल यादव की तरफ से यहां तक कहा गया है कि इस प्रकार की कोई योजना सरकार के पास है भी या नहीं। इस बात के लिये मैं यह दावे के साथ कहूंगा कि सरकार के पास वास्तव में ऐसी स्कीम है। लेकिन मुझे अफशोस इस बात का है कि हमारे विरोधी दल के नेता और उनके नजदीक बैठे हुए सदस्य जिन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया, उनकी तो मैं तारीफ किये वगैर नहीं रह सकता, मैं उनकी योग्यता की तारीफ करता हूं लेकिन साथ ही यह भी कहूंगा कि उन्होंने गलत बातें कह कर दूसरों को गुमराह करने की कोशिश की है।

ठीक बात है यह इन्सान का गुण है, होना ही चाहिये, परन्तु सरकार की आलोचना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा सरकार को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती।

Preventive Detention Act के तहत की गई गिरफ्तारियों का खूब जिक्र किया गया है। Legislation ने इस कानून को बनाया, Executive ने इसे execute किया, Execution की ओर से कोई गल्ती या गड़बड़ी हुई हो तो उसको देखने का काम Judiciary का है। मैं हाउस को जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि House के जिन सदस्यों का डाकुओं से सम्बन्ध था उनको Preventive Detention Act में पकड़ा गया है। यह कार्य जो हमारी सरकार ने किया है, बिलकुल वाजिब है।

इस प्रान्त में दुनिया के अन्य मुल्कों की अपेक्षा बहुत अधिक जातियां है। हमारे यहां एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा कर नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। कल इसी तरह का भाषण दिया गया था कि 'नीच जातियें' हैं। मैं बताता हूं कि नीच जाति वह है जिन्होंने समाज का, देश का शोषण किया है। नीच वे लोग हैं जो दूसरों की कमाई पर जिंदा रहते थे। वे नीच नहीं हैं जो हमारे देश के निर्माण में सहयोग देने वाले थे। हमने लाखों करोड़ों वर्षों से इस देश में पाप किया है, उसको इस विधान में दूर किया गया है। आप और हम सब का फर्ज है कि इस संविधान की छत्र-छाया में हमारे देश को आगे बढाने की कोशिश करें। हमारी सरकार ने या श्री राजप्रमुख ने भाषण में रखा है; उसके ५ पेज पर लिखा है:-

"The Government have been able to secure from the Government of India a grant-in-aid of rupees six lakhs and seventy thousand for the various schemes which are being executed in the current year for the welfare of Scheduled Tribes and development of Scheduled Areas."

यह तारीफ के काबिल बात है। इसके लिए हमें सरकार की तारीफ करनी चाहिये। समाज में जिन लोगों को हमने कुचल कर पीछे रख दिया है उनको आगे बढायें।

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--Mr. Dy. Speaker, Sir, the time of the House is over. The Rule is there. Rule 70.........

श्री सम्पतरामः--Don't disturb.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--My remarks were addressed to the Chair and not to you. If the House wants to sit after the time is over, the Speaker's direction in the matter will be obeyed.

श्री सम्पतरामः--I submit that permission may kindly be granted to continue my speech.

श्री इन्द्रनाथ मोदीः--If the Hon'ble member wants to address the House the point can come up tomorrow and there is no objection if you take time tomorrow as well.

श्री सम्पतरामः--I am sorry.

श्री उपाध्यक्षः--चूंकि समय हो गया है; अतः सभा की बैठक स्थगित की जाती है। कल साढ़े आठ बजे के लिये आपके (श्री संपतराम को संबोधित करते हुए) लिये समय बढा दिया गया है आप कल फिर बोल लीजिये। कल फिर इसी प्रस्ताव पर बहस होगी।

(सभा की कार्यवाही १२–३५ पर समाप्त हुई और सदन की बैठक तारीख ६ अक्टूबर १६५२ के साढे आठ बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ८ अक्टूबर, १६५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्नोत्तर (सदन की मेज पर रखे गए)

—०—

प्रश्न संख्या १६

श्री नारायण चतुर्वेदी:–क्या स्वास्थ्य मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(१) जनवरी से लेकर जुलाई सन् १९५२ तक सवाई मानसिंह अस्पताल के डी लक्स वार्ड में कितने बीमार दाखिल हुए ?

(२) उनमें से कितने बीमारों का खर्चा (कमरे का किराया व दवाओं आदि का खर्च) सरकार की ओर से दिया गया ?

(३) दिया गया तो उसका कारण क्या ?

उत्तर

(1) 35 patients were admitted during the period.

(2) 15 patients were given free accommodation and free treatment.

(3) The patients were entitled to free treatment and accommodation according to Rajasthan Government Rules.

प्रश्न संख्या १७

श्री तेजपाल:—क्या वित्त मंत्रीजी महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(१) इस वर्ष की तकावी की रकम में से कितना रुपया किस किसको दिया गया और हरिजनों को उसमें से कितना दिया गया जबकि २० प्रतिशत हरिजन काश्तकार तकावी के लिये बेचेन हैं ?

उत्तर

इस वर्ष कुल आठ लाख रुपया राजस्व विभाग में तकावी के लिए अलाट किया गया है जिसकी डिविजन वाइज तफसील इस प्रकार है:—

जयपुर	..	..	२,२५,०००
जोधपुर	..	..	१,२५,०००
कोटा	..	..	१,००,०००
बीकानेर	..	..	१,२५,०००
उदयपुर	..	..	२,२५,०००

इसके अलावा २,००,००० मेकेनाइज्ड कल्टिवेशन के लिए रखा गया है।

यह रकम तकावी नियमों के अनुसार जरूरतमन्द काश्तकारों को दी जाती है और इसके लिए जातिवार हिसाब नहीं रखा जाता।

प्रश्न संख्या १८

श्री तेजपाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करगे कि:—

राजस्थान में बेकारी को मिटाने के लिये सरकार ने क्या क्या योजनाएं तैयार की हैं और वह कब तक कार्य रूप में परिणित होजावेंगी?

उत्तर

Rajasthan Government have launched a number of schemes under the 5 years' plan which will greatly help in giving employment to the people. The Employment exchanges have done some valuable work in this direction. Government also intend to give vocational basis to Education so as to increase scope for employment.

प्रश्न संख्या १९

श्री तेजपाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि:—

पुराने राज्यों की राजधानियों में किसी प्रकार का व्यापार न रहने के कारण वहां के निवासी अपने निवास-स्थानों को छोड़ कर जयपुर अथवा राजस्थान से बाहर जा रहे हैं?

उत्तर

No cases of such exodus have come to the notice of the Government.

प्रश्न संख्या २०

श्री तेजपाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार का कोई नियम बनाया है कि एक व्यक्ति अथवा कोओपरेटिव सोसाइटी के नाम से मोटर लारी चलाने के कितने परमिट मिल सकते हैं? यदि नहीं तो क्या इस प्रकार का कोई नियम बनाना सरकार को उचित नहीं जचता?

उत्तर

(अ) नहीं।
(ब) नहीं।

प्रश्न संख्या २१

श्री तेजपाल:—क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि:—

राजनैतिक आन्दोलन (मुख्यत: सन् १९४२ और १९४७) में जेल जानेवाले व्यक्तियों के जुरमाने अदा न करने व अन्य किन्हीं कारणों से गवर्नमेन्ट द्वारा कुर्क किये बर्तन इत्यादि उनको वापिस अभी तक भी नहीं मिले हैं जबकि सरकार ने उन्हें वापस करने के आदेश दे दिये थे? क्या सरकार इसकी ठीक जांच करेगी? यदि वापस न करने के कारण सामान का नष्ट होजाना है तो क्या सरकार उन्हें मुआवजा देने की कोई व्यवस्था कर रही है?

उत्तर

सरकार को किसी ऐसे केस का ज्ञान नहीं है, जिसमें राजनैतिक आन्दोलन में जेल जाने वाले व्यक्तियों को जुरमाना अदा न करने व अन्य किन्हीं कारणों से कुर्क किये बर्तन इत्यादि न मिले हों। यदि मेम्बर महोदय ऐसे केसों से सरकार को सूचित करें तो सरकार उनकी जांच कर सकेगी।

प्रश्न संख्या २२

श्री तेजपाल:—क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) भरतपुर जिले में खाम की कितनी जमीन है?

(ख) इसमें से कितनी जमीन शरणार्थियों को, कितनी मेवों को, कितनी तीस बीघा से अधिक जमीन रखने वाले किसानों को और कितनी भूमिहीन किसानों को एलॉट की जा चुकी है ?

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को, कि जिनके पास निजी भूमि नहीं है और जो काश्त करना चाहते हैं, उनके लिये कोई योजना तैयार कर रही है ?

(घ) यदि हां, तो उस पर कब तक अमल किया जावेगा ?

(ड़) क्या सरकार रूंधों को व अन्य बेकार पड़े हुए रकबों को भूमिहीन लोगों को देने के लिये सोच रही है ?

(च) अगर हां, तो ये कब तक मिल सकेगी जिससे भूमिहीनों को संतोष हो ?

(छ) क्या सरकार को पता है कि जमींदार अपने जोताओं को बेदखल कर रहे हैं कि जिनके नाम संवत् २००८ की टीप दर्ज है ?

(ज) क्या सरकार इस प्रकार के उनके जमींदारों के लिये भी कुछ सोच रही है कि जिन्होंने अपने जोताओं को बेदखल करने के लिये उनकी जाली अथवा जबरन प्राप्त की हुई रसीदें पेश करके कानूनी खानापूरी करली है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)